



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 अप्रैल, 2018

षोडश विधान सभा
नवम् सत्र

मंगलवार, तिथि 3 अप्रील, 2018 ई0
13 चैत्र, 1940(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना पर हूँ । हम भी चाहते हैं कि सदन चले ।

अध्यक्ष: आप चलने देना चाहते हैं तो शुक्रिया ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि मंत्री जी ब्लू बंडी पहने हुए हैं, हम कहेंगे कि दिल बदलिये , मन को बदलिये और केवल कपड़ा बदलने से दलित प्रेम और महादलित प्रेम नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

प्रश्नोत्तर - काल

तारांकित प्रश्न संख्या 2568 (श्रीमती सावित्री देवी)

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- जमुई से देवघर भाया चकाई निगम की एक गाड़ी दिनांक 20-01-2018 तक चली है, इसके पश्चात् गाड़ी में खराबी आने के कारण उसे कर्मशाला में बनाने हेतु भेज दिया गया है । कर्मशाला से बनकर वाहन प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 11-03-2018 से उक्त मार्ग पर परिचालन किया जा रहा है ।

श्रीमती सावित्री देवी : महोदय, मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पाँच वर्ष पूर्व गया से देवघर बाबा नगरी के लिए राज्य ट्रांसपोर्ट की बस चलती थी जो जमुई से चकाई होकर गुजरती थी उसे बंद कर दी गयी है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय, मैंने बताया कि गाड़ी में खराबी होने के चलते बंद थी, अब पुनः 11-03-2018 से परिचालन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2569 (श्री ललन पासवान)

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय रतनसारा, घोघरडीहा, मधुबनी वर्ष 2005-06 में उत्कर्मित हुआ है अद्यतन इस विद्यालय में 439 छात्र/छात्राएं नामांकित हैं ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रश्नगत विद्यालय को डेढ़ एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है परन्तु यह विद्यालय के नाम से निर्बंधित नहीं है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक 05-07-2013 एवं संकल्प संख्या-141 दिनांक 07-02-2018 के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रावधान अंकित है । उक्त संकल्प के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषण के लिए विभागीय पत्रांक-130 दिनांक 05-02-2018 एवं पत्रांक 657 दिनांक 20-03-2018 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है ।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रश्नगत विद्यालय के उत्क्रमण पर विचार उक्त संकल्प के आलोक में किया जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

ताराकित प्रश्न 2570 (श्री जितेन्द्र कुमार)

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत अवस्थित अस्थावाँ एवं सरमेरा प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उक्त जिले में रिक्त प्रखंडों का प्रभार दिया गया है । प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अस्थावाँ एवं सरमेरा द्वारा उक्त प्रखंडों से संबंधित कार्यों का निष्पादन सही ढंग से किया जा रहा है । सम्प्रति नालंदा जिलान्तर्गत अवस्थित बिन्द, कतरीसराय आदि प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त है । भविष्य में उक्त संवर्ग के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के समय नालंदा जिलान्तर्गत अवस्थित रिक्त प्रखंडों में भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन किया जायेगा ।

श्री जितेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नहीं रहने से प्रखंड स्तरीय कार्य बाधित होता है । समीक्षा नहीं हो पाती है और उसका पूर्ण रूप से रिभियू नहीं हो पाता है । वर्षों से रिक्त चला आ रहा है । हम जानना चाहते हैं कि उक्त चारों प्रखंड में कब तक, इसका कोई समय सीमा निश्चित करना चाहेंगे, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है और प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं या मध्याह्न भोजन सभी की समीक्षा ढंग से नहीं हो पाती है और सप्ताह में एक दिन भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति

में कब तक पूर्णकालिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पदस्थापित करने का विचार रखते हैं?

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि दरअसल यह समस्या अन्य प्रखंडों में भी है अधिकारियों की कुछ कमी है, उसके कारण यह परिस्थिति पैदा हुई है। जून माह में सभी स्थानान्तरण का काम होता है, तो जून माह में हम बड़े पैमाने पर इसपर स्थानान्तरण करेंगे और उसमें इस बात का ख्याल प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे कि जिन प्रखंडों की चर्चा आपने की है, वहाँ सही ढंग से पदस्थापना हो जाय।

श्री जितेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि एक सप्ताह में एक भी दिन नहीं रहते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किसी भी ब्लौक में, चाहे अस्थावां हो, चाहे सरमेरा हो, चाहे बिन्द हो या कतरीसराय हो, ये चाहें तो किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच करवा लें मंत्री जी, एक दिन भी नहीं रहते हैं, हमलोगों की भी मुलाकात नहीं हो पाती है, बैठक में नहीं आ पाते हैं, तो कौन से कार्य करते हैं और कितनी गड़बड़ी हो रही है, इसकी जांच करवाना चाहते हैं मंत्री जी ?

अध्यक्ष: डायरेक्शन दे दीजिये कि वे रहें ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: जी, देखिये यह दरअसल अस्थायी समस्या है, सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों पर यह समस्या है, जिसको जून माह में हमलोग ठीक कर देंगे ।

श्री जितेन्द्र कुमार: महोदय, हमने कहा कि सप्ताह में दो दिन भी, तीन दिन भी अगर नहीं रहते हैं, तो ऐसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष: प्रश्न में तो वो क्यों नहीं रहते हैं, इसका औचित्य बताते हुए, उनको बाकी कार्यों से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी अगर दो तीन प्रखंडों के भी प्रभार में एक ही अधिकारी हैं, तो यह तो आप निर्देश दे ही दीजिये, वे किन किन प्रखंड में किस किस दिन उपलब्ध रहेंगे, यह दिन सबको ज्ञात रहे ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: ठीक है महोदय, शीघ्र करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2571 (श्रीमती गायत्री देवी)

अध्यक्ष: आज, माननीय शिक्षा मंत्री जी ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: जी ।

अध्यक्ष: प्रश्नों को देखकर लगता है कि सारा सदन आपको खड़ा ही देखना चाहता है ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि श्री मो० हैदर अली अंसारी को मध्य विद्यालय, मुजौलिया बाजार प्रखंड, परिहार में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया गया है । श्री मो० अंसारी, प्रधान अध्यापक के पद पर योगदान कर कार्यरत हैं । श्री मो० अंसारी को प्रभार नहीं मिलने के कारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) सीतामढ़ी के पत्रांक-22.06.2017 एवं पत्रांक-1796 दिनांक 22-07-2017 द्वारा प्रभार सौंपने हेतु प्रभारी प्रधान अध्यापक

मो0 अंजार आलम को निदेशित किया गया । पुनः पत्रांक-1953 दिनांक 05-08-2017 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार को स्वयं विद्यालय में उपस्थित रहकर प्रभार का आदान प्रदान कराने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री मो0 अंजार आलम द्वारा मो0 हैदर अली अंसारी, प्रधानाध्यापक को प्रभार नहीं सौंपने के कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार के प्रतिवेदन के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0) सीतामढ़ी के द्वारा श्री मो0 अंजार आलम प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्लंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जा चुका है । कार्रवाई हो गयी है ।

अध्यक्ष: इनको प्रभार मिला कि नहीं मिला, प्रश्न प्रभार मिलने का है ? यह भी देख लीजिये कि वो निर्लंबित हो गए, जो नहीं दे रहे थे और इनको स्वतः प्रभार भी ग्रहण करा दिया जाय, वह भी इन्शोर कर लीजिये ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: ठीक है ।

श्रीमती गायत्री देवी: अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो उनको प्रभार नहीं मिला है ।

अध्यक्ष: वही आप ही की बात हमने पूछा है कि जो नहीं दे रहे थे, वो तो निर्लंबित हो गए लेकिन जिनको मिलना चाहिए, उनको मिल भी तो जाना चाहिए ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, स्वाभाविक रूप से उनको मिल गया होगा, हम आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि वह सिंगल हैं । एक ही हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्या कह रही हैं कि नहीं मिला है, आप उनको दिलवा दीजिये ।

श्रीमती गायत्री देवी: महोदय, अंसारी को अभी तक प्रभार नहीं मिला है ।

अध्यक्ष: ठीक है, दिलवा देंगे ।

श्रीमती गायत्री देवी: महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ

अध्यक्ष: हो गया, आपका काम इससे हो जायेगा ।

टर्न-2/3.4.2018/बिपिन

तारांकित प्रश्न संख्या-2572 (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि चन्द्रगढ़ पंचायत में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, कझपा है । इस विद्यालय का संचालन श्री सागर कुमार, पंचायत शिक्षक के द्वारा वर्ष 2014 में लगभग 5 महीना तक किया गया । श्री सागर कुमार द्वारा वर्ष 2014 में ही त्यागपत्र देने के उपरांत चन्द्रगढ़ पंचायत नियोजन इकाई द्वारा किसी अन्य शिक्षक को पदस्थापित नहीं किये जाने के कारण विद्यालय बंद है तथा विद्यालय में कोई नामांकन भी नहीं है ।

उक्त वर्णित विद्यालय भूमि एवं भवनहीन है । वर्तमान समय में वहां के बच्चे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत चन्द्रगढ़ में ही अवस्थित मध्य विद्यालय, विलासपुर में नामांकित हैं और वहां पढ़ने जाते हैं ।

उक्त वर्णित स्थिति में प्रश्नगत विद्यालय को मध्य विद्यालय, विलासपुर, नवीनगर में संविलियन करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो प्रश्न किए ...

अध्यक्ष: आपके विद्यालय का इन्होंने संविलियन करा दिया है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : यही तो नहीं चाहते हैं अध्यक्ष महोदय । अब जब वह विद्यालय पांच महीना, छः महीना चल गया और चलने के बाद आप उसको दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां के लोगों का कहना है आप शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर दीजिए और करना चाहते हैं कि नहीं?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, मैंने कहा कि उक्त विद्यालय भवनहीन है और वहां कोई लड़के भी नहीं हैं और एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए वहां संविलियन कर दिया गया है । बच्चों की वहां पढ़ाई अच्छे ढंग से हो रही है ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि इस तरह का पूरे बिहार में पहले स्कूल खुला था, जमीन भी है लेकिन मकान नहीं बनाया । तो इस तरह से बहुत से स्कूल खुले थे, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खुला था । आज के डेट में सारे विद्यालय को समाप्त करके बगल के विद्यालय में जो 2 कि०मी० 3 कि०मी०....

अध्यक्ष : माननीय प्रहलाद जी, इस तरह के अन्य विद्यालय हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं । ठीक है ।

वीरेन्द्र बाबू, आप तो जल्दी खड़े नहीं होते हैं ! जब दूसरे को पुकार देते हैं तब आप खड़े होते हैं !

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : माइक पर नहीं बोलते हैं महोदय, इसलिए थोड़ा-सा तो हमको संरक्षण दीजिए । हमको तो पता नहीं चला कि खत्म कर दिए ।

अध्यक्ष: वीरेन्द्र बाबू , मंत्रीजी तो बोलते माइक पर ही हैं लेकिन हमको लगता है कि आप ज्यादा नजर उनके परिधान पर देते हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: महोदय, एक आपत्तिजनक बात है, रिपोर्ट में कही गई है कि विद्यार्थी नहीं है, छात्र नहीं है वह गांव झारखंड सीमा पर है और पिछड़ों का गांव है । हमलोगों से बड़ी आशाएं हैं उनलोगों को।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय सदस्य का भी और प्रहलाद जी ने भी कहा है कि ऐसे कई विद्यालय हैं अन्य जगहों पर भी जहां पर भूमि है, भवन नहीं है जिसके कारण विद्यालयों को स्थानान्तरित कर दिया गया तो क्या सरकार जहां पर भूमि उपलब्ध है वहां

भवन निर्माण कराकर जहां से पहले चल रहे थे, उनको वहां चलवाने का विचार या कोई योजना बनाना चाहती है, सो पूछ रहे हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रहलाद जी या अन्य माननीय सदस्यों के यहां भी अगर इस तरह की समस्या है कि भूमि है उसके पास और वहां छात्र भी हैं लेकिन फिर भी उसका कहीं दूसरी जगह संविलियन कर दिया गया है, ऐसा कुछ पार्टिकुलर कहीं हैं तो वह मिलकर हमें आवेदन दे दें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं भूमि दिलवा दूंगा । उस जगह भूमि देने के लिए तैयार है गांव वाला।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2573 (श्री अशोक कुमार, 132)

(माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-2574 (श्री अवधेश सिंह)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली से प्राप्त सूचनानुसार वैशाली जिला के अन्तर्गत मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु जिला प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति समिति, वैशाली की दिनांक-25.01.2018 को आहूत बैठक के निर्णयानुसार कुल 417 स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति की अनुशंसा की गयी है । तदनुसार आगामी माह में कॉसेलिंग कर पदस्थापन की कार्रवाई कर दी जाएगी ।

श्री अवधेश सिंह : महोदय, 900 से उपर मध्य विद्यालय है, एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं हैं 963 विद्यालय है हमारे वैशाली जिला में । एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं होने के कारण कई जगह चाहे वह एम.डी.एम. का विषय हो या अन्य विषय हो, बराबर एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से उलझते रहते हैं । हम माननीय मंत्री से जाना चाहते हैं कि अगले महीने तक लेकिन चूंकि पठन-पाठन बिल्कुल डिस्टर्ब है तो जो बेसिक पदाधिकारी, अन्य जिले में हो गया और वैशाली जिला में नहीं हो पाया है, क्या उसपर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री जी ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: बैठक तो उसकी हो गई है, और अगले माह में वह पदस्थापित हो जाएंगे । बस कुछ दिनों की बात है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2575 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-220 दिनांक- 27.03.2018 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार +2 राजकीयकृत मिथिला उच्च विद्यालय, बलौर, दरभंगा के वरीय शिक्षक श्री पशुपति सिंह के द्वारा अपने शपथ पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए अपनी

अस्वस्थता के कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाये जाने का अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा नियोजित शिक्षिका श्रीमती सुनयना कुमारी को विद्यालय के कार्य संचालन हेतु प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब को मैं चुनौती देता हूँ । जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इनको जो प्रतिवेदन दिया है वह गलत प्रतिवेदन दिया है और वह पशुपति सिंह प्रभारी एक नियोजित शिक्षक है और दरभंगा जिला में एक विद्यालय का नहीं, अनेकों विद्यालय में प्रभारी शिक्षक बनाए हुए हैं संविदा पर जो हैं जिनको कि सरकार का पत्र है कि उनको नहीं बनाना है, ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारी पर गलत प्रतिवेदन और गलत जवाब देने पर क्या माननीय मंत्री जी कार्रवाई कार्रवाई करेंगे ? एक नहीं अनेकों, सैकड़ों उदाहरण हम देंगे, उस जिला में एक बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, श्री पशुपति सिंह ने स्वयं एफिडेविट दिया है और चिकित्सा प्रमाण पत्र भी कि वह अस्वस्थ हैं, ऐसी स्थिति में मजबूरी में नियोजित शिक्षक को वहां दिया गया है । तो जब इस जानकारी को आप चुनौती देते हैं तो मैं इसे देखवा लूंगा, इसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताएं कि इनका विभाग से प्रपत्र है कि नहीं कि नियमित शिक्षक ही प्रभारी रहेंगे ? एक ये । दूसरा कि गलत ये जिला शिक्षा पदाधिकारी और एक विद्यालय नहीं महोदय, इसकी जांच करा लिया जाए, यानी दरभंगा जिला में हजारों विद्यालय में संविदा पर बहाल शिक्षक को प्रभारी बनाया गया है जो कि नियम के बिल्कुल विपरीत है महोदय। ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारी पर और पशुपति सिंह का गलत प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया है उनपर क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, मैंने कहा मैंने कहा कि ठीक है कि ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं, और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई पशुपति सिंह जी हैं जो नियमित शिक्षक हैं उन्होंने एफिडेविट करके दे दिया है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम नहीं रहना चाहते हैं तो कोई दूसरे नियमित शिक्षक नहीं हैं वहां पर?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: नहीं है वहां पर महोदय ।

अध्यक्ष: तो उस हालत में बनाया गया है ?

श्री ललित कुमार यादव : यह गलत जवाब है महोदय ।

अध्यक्ष : यह गलत जवाब है तो इसको कोई डी.इ.ओ. से बड़े आर.डी.डी.ई. से जांच करा लीजिए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: ठीक है, मैं जांच करा लूंगा ।

टर्न : 03/कृष्ण/03.04.2018

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरी आपत्ति है । यह सरकार का पत्र है कि संविदा आधारित शिक्षक को प्रभारी नहीं बनाना है । उसके विपरीत ये दो साल से प्रभारी बनाये हुये हैं । दूसरा, एक विद्यालय में नहीं, हम कह रहे हैं कि उस जिला में हजारों विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को प्रभारी बनाया गया है ।

अध्यक्ष : मा0 सदस्य ललित जी, इसीलिये न हमने कहा कि डी0ई0ओ0 से भी ऊपर स्तर के अधिकारी से जांच करा लेंगे, आपसे उसमें आवश्यक सूचनाओं का सहयोग ले लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरी आपत्ति है । हम कह रहे हैं कि हमने एक विद्यालय का जिक्र तो उदाहरणस्वरूप किया हूँ । जिला में सैकड़ों, हजारों विद्यालय है, जिसमें संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को प्रभारी बनाया गया है ।

अध्यक्ष : आप सूचना दे दीजियेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : शिक्षा सचिव से महोदय ।

अध्यक्ष : कार्रवाई तो सचिव स्तर से ही होगी न ।

श्री ललित कुमार यादव : बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा है महोदय ।

अध्यक्ष : आर0डी0डी0ई0 से जांच होने दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रश्न की गंभीरता को देखा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । आप आर0डी0डी0ई0 से माननीय सदस्य के साथ इसकी जांच करा लीजिये और अन्य विद्यालयों का भी मामला हो तो देख लीजिये । अगर गलत जवाब है तो वैसे पदाधिकारी पर जरूर कार्रवाई कीजिये ।

श्री कृष्ण नन्दन वर्मा,मंत्री : बिल्कुल ।

तारांकित प्रश्न सख्या : 2576 (श्री नितिन नवीन)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सख्या : 2577 (श्री सुनील कुमार,क्षे0सं0-28)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सख्या : 2578 (श्री मुजाहिद आलम)

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1.उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । मुख्यमंत्री बिहार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिला में एक सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित किया जाना संकल्पित है ।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 655 दिनांक 16.06.2016 के अनुसार सार्वजनिक जल स्तर का हो तथा पोखर, वन, झील, आहर, पर्ईन, नहर, नाला एवं नदी किस्म की भूमि का अंतर विभागीय हस्तांतरण अथवा बंदोबस्ती नहीं किया जाना है ।

3. किशनगंज जिला में कोचाधामन प्रखंड के मौजा पाटकोई कला में चिन्हित भूमि का किस्म नदी होने के फलस्वरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उक्त भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया है ।

श्री मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो जमीन दी गयी है, वह जमीन महानन्दा नदी से दो किलोमीटर दूर है । डाँ0 कलाम कृषि कॉलेज महानन्दा नदी के किनारे बना हुआ है । ए0एम0यू0 सेंटर, अलीगढ़ को जो जमीन दी गयी है, वह महानन्दा नदी के किनारे है, उस जमीन को बचाने के लिये 44 करोड़ रूपये से जल संसाधन विभाग द्वारा बांध बनाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त यह जो भूमि दिया गया है, वहां पहुंच पथ के लिये ग्रामीणों द्वारा 26 डिसमिल जमीन महामहिम राज्यपाल को दानस्वरूप दिया गया है क्योंकि वहां पहुंच पथ के लिये जमीन नहीं थी । इतना कुछ होने के 2 साल के बाद बताया जा रहा है कि वह नदी के किनारे जमीन है और अर्बा बाड़ी में नदी के किनारे जो 1000 करोड़ से जो कृषि कॉलेज खड़ा हो गया है और ए0एम0यू0 सेंटर बना हुआ है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, जो जमीन लिया गया है ग्रामीणों द्वारा 26 डिसमिल वह यही कह कर लिया है कि यहां इन्जीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, लोगों ने मुफ्त में जमीन दान में दिया है ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिये न । यह सब तो आप बोल चुके हैं ।

श्री मुजाहिद आलम: जी । मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि किशनगंज जिला में जो इन्जीनियरिंग कॉलेज बनना है, वह उसी जमीन पर बनाने की कार्रवाई की जाय ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, माननीय न्यायालय का एक आदेश आया, बहुत सख्त आदेश है कि कोई नदी, नाला, आहर जहां जल संग्रहण के लिये जो काम में लाया जाता है उस पर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया सकता है और इसके लिये हमलोगों ने एक समिति बनायी है जगह के लिये जिसमें जिला समाहर्ता होते हैं, समाहर्ता किशनगंज के प्रतिनिधि हैं, डा0 फकरूद्दीन अंसारी है, प्राचार्य, कटिहार हैं और श्री रवि कुमार प्रभारी प्राचार्य, कटिहार हैं । ये सभी समिति के सदस्य समिति के सदस्य होते हैं और उनके द्वारा एक नई वैकल्पिक भूमि की तलाश चल रही है । चूंकि सरकार उस आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहती है। इसलिये हमारी मजबूरी हो गयी है कि हम कोई नये वैकल्पिक स्थान चिन्हित करके वहां पर इन्जीनियरिंग कॉलेज बनाये।

तारांकित प्रश्न सख्या : 2579 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय,कटिहार के पत्रांक 133 दिनांक 10 मार्च,2018 द्वारा सुचित किया है कि कटिहार में व्यावसायिक बालू का निक्षेप नहीं रहने के कारण उक्त जिला के बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि बालू एक लघु खनिज है एवं इसके व्यावसायिक इस्तेमाल के लिये नियमावली में विहित प्रावधान है जिसके अन्तर्गत लोक निलामी द्वारा करने के पश्चात् खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में भूस्वामियों को अपने उपयोग के लिये गंगा नदी से बालू निकालने की छूट नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में अवगत कराना है कि कटिहार जिला में बिहार स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि0 द्वारा जिला में बफर स्टॉक की स्थापना कर दी गयी है, जहां आम उपभोक्ताओं के लिये उचित दर पर बालू उपलब्ध है।

तारांकित प्रश्न सख्या : 2580 (श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. कांडिका 2 एवं 3 के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 4 (ए) एवं 417 के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के लिये विश्वविद्यालय स्वयं सक्षम है।

3. प्रसंगाधीन महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने के बिन्दु पर विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा आधारभूत संरचना यथा पुस्तकालय एवं पुस्तक संख्या, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या एवं स्नातकोत्तर के पठन-पाठन से संबंधित सभी पहलुओं की जांच हेतु शीघ्र जांच दल भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने की सूचना दी गयी है, जांच करने के बाद इस पर कार्रवाई होगी।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, पूर्व में सरकार ने स्वीकार किया था कि बड़ा अनुमंडल है, 12 से 14 लाख की आबादी है और वहां पर स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ की जायेगी। उस इलाके के बच्चों को 80 से 90 कि०मी० गया, डुमरिया, इमामगंज जैसे इलाके के लोग, झारखंड के बोर्डर पर रहते हैं, वैसे बच्चों को 80-90 कि०मी० चलने के बाद गया पहुंचने पर स्नातकोत्तर में या बोधगया मगध विश्वविद्यालय में सुविधा प्राप्त होती है। सरकार ने संकल्प लिया है अनुमंडल स्तर पर पहले से है लेकिन इतनी बड़ी आबादी को स्नातकोत्तर शिक्षा उपलब्ध हो इसके लिये माननीय मंत्री महोदय अविलंब वहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करवाने के लिये विश्वविद्यालय को निर्देश देने का विचार रखते हैं ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, शेरघाटी महाविद्यालय को मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उसका एरिया भी बड़ा है और वहाँ इसकी जरूरत है। तो इसकी जांच हो करके जो रिपोर्ट आयेगा उसके बाद इस पर कार्रवाई की जायेगी। हम आश्वस्त करते हैं कि वहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई आवश्यक है और मैं निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करूंगा ताकि उसकी पढ़ाई हो।

श्री विनोद कुमार यादव : महोदय, समय-सीमा क्या होगी ? आश्वासन तो लंबी अवधि के लिये होता है। कबतक उस इलाके में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करवा देंगे।

अध्यक्ष : मा०स० विनोद जी, माननीय मंत्री ने कहा है कि मैं निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करूंगा। अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री विनोद कुमार यादव : समय सीमा।

अध्यक्ष : समय-सीमा बाँधियेगा, अनिश्चित हो जायेगा।

टर्न-4/सत्येन्द्र/03-4-18

तारांकित प्रश्न संख्या- 2581(सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कोढ़ा विधान-सभा अन्तर्गत उत्कर्मित उच्च विद्यालय, ललिया के नाम से कोई भी विद्यालय नहीं है। उत्कर्मित उच्च विद्यालय, मुसापुर एवं उत्कर्मित उच्च विद्यालय, मड़वा नजरा चौकी में प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हो सका है। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 21199/13 में दिनांक 31-10-17 को पारित न्यायादेश के तहत जिला परिषद/नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली)समय समय पर यथासंशोधित, 2007 नियमावली के नियम 6 एवं 8 को read down कर दिया गया है।

उक्त मामले में राज्य सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस०एल०पी० नं० 20/18 दायर किया है जिसमें तीन तिथियों पर सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 12-7-18 को निर्धारित है। ऐसे में उक्त नियमावली अन्तर्गत तत्काल नियोजन करने में वैधिक कठिनाई है।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान: अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षक नहीं रहेंगे स्कूल में तो शिक्षा बच्चे कैसे ग्रहण करेंगे। हमलोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं लेकिन गुणवत्तापूर्ण जबतक शिक्षक नहीं रहेंगे, वहाँ किसी भी सब्जेक्ट के उसमें शिक्षक नहीं है जिनके कारण बच्चे को काफी परेशानी हो रही है और उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो माननीय मंत्री जी से हम ये कहना चाहती हूँ कि तत्काल अगर आसपास के कई

स्कूल में, किसी में पांच, किसी में छः शिक्षक है तो तत्काल एक भी शिक्षक उस विद्यालय में अगर बहाल/प्रतिनियुक्त करते हैं तो इससे बच्चे को शिक्षा बेहतर मिल सकती है ।

अध्यक्ष: इसको दिखवा लीजिये कहीं अगर सरप्लस है तो ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: फिलहाल नियोजन की बात जहां तक है, हम नियोजन कर ही नहीं सकते हैं जबतक कि...

अध्यक्ष: अब वे नियोजन की बात से आगे निकल चुकी हैं । वे कह रही है कि नियोजन नहीं हो सकता है तो कहीं से काटकर यहां दे दें ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: इसको हम दिखवा लेते हैं, अगर संभव हुआ तो अगल बगल से कुछ करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2582(श्रीमती गायत्री देवी)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजनान्तर्गत स्वीकृत लाभुकों को 1500/-रु0 प्रति माह की दर से भुगतेय है और इसी दर से फरवरी 2014 से दिसम्बर 2017 तक 47 माह के लिए 70500/-रु0 भुगदेय होता है । वस्तुस्थिति यह है कि इन दोनों प्रखंडों में इसी दर से भुगतान किया गया है परन्तु राशि के अभाव में सोनबरसा एवं परिहार प्रखंडों में क्रमशः 64 एवं 35 लाभार्थी को क्रमशः 10 माह एवं 29 माह के भुगतेय राशि लंबित है जिसका भुगतान बजट उपबंध के अधीन नियमानुसार किया जायेगा ।

श्रीमती गायत्री देवी: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने के बाद 22-23 तारीख को 12 हजार मात्र उनके खाते में गया है और जो बाकी रु0 है कुष्ठ रोगियों का, कबतक उनके खाते में पैसा जायेगा ? समय सीमा तो चाहिए अध्यक्ष महोदय और सरकार चाहती है कि यह रोग देश से भाग जाय और कुष्ठ रोग न हो और लोग सुरक्षित रहे इसलिए समय सीमा तो चाहिए ही ।

अध्यक्ष: उत्तर सुन लीजिये ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: महोदय, मैंने बतलाया कि 10 माह एवं 29 माह के भुगतेय राशि लंबित है जिसका भुगतान बजट उपबंध के अधीन नियमानुसार करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष: करा देंगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2583(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री: महोदय(1) स्वीकारात्मक हैं ।

(2) यह बात सही है कि जिला मुख्यालय, मोतिहारी में एक मात्र पोलिटेकनिक संस्थान संचालित है तो इस संस्थान में चकिया अनुमंडल के छात्र छात्राओं के साथ ही जिला के अन्य क्षेत्रों के भी छात्र छात्राओं को रोजगारपरक उच्च गुणवत्तायुक्त डिप्लोमास्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है । इस प्रकार चकिया

अनुमंडल के गरीब छात्र छात्राओं के लिए जिला मुख्यालय, मोतिहारी में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मोतिहारी 70 लाख से ज्यादा आबादी का जिला है और उसमें चकिया अनुमंडल की भी आबादी 15 लाख से ज्यादा है । अभी इतनी बड़ी आबादी वाले जिले में वहां एक मात्र पोलिटेकनिक कॉलेज है, उसमें कैसे चकिया अनुमंडल के गरीब छात्रों को या जो छात्र वहां पढ़ना चाहते हैं उनको तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगा । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री के पास कोई डाटा है कि चकिया अनुमंडल के कितने छात्र उससे लाभान्वित हो रहे हैं ?

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री: महोदय, ये डाटा नहीं है लेकिन ये संस्थान जो बनते हैं उसका दायरा जिला नहीं होता है, उसका दायरा बिहार है बल्कि उसके बाहर भी हैं । चूंकि ये छात्र जब भी कम्प्लीट कर के आते हैं तो उनकी ये भी प्राथमिकता नहीं है कि वे उसी जिला में रहेंगे । वह तो एकौडेंगली होता है नम्बर के अनुसार, उनके कॉलेज की जो रैंकिंग है उसके अनुसार उनको दिया जाता है इसलिए उसमें डाटा की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपकी बात भी सही है कि वह बड़ा जिला है लेकिन सरकार ने सात निश्चय के तहत यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक पोलिटेकनिक कॉलेज बनायेंगे । अनुमंडल स्तर पर इस प्रकार अभी कोई सरकार के पास योजना नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो आधार बनाया है कि जिले में एक पोलिटेकनिक कॉलेज होगा तो क्या जनसंख्या भी उसका कोई आधार है ?

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री: नहीं, आधार तो हम जिला को मानक बनाया है और जिला को मानक बनाकर के ही सरकार अभी तय की है कि प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग और एक पोलिटेकनिक कॉलेज महोदय हम बनायेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में सरकार की ऐसी कोई योजना है कि जो बड़े अनुमंडल है, जहां पोपुलेशन ज्यादा है, वहां के गरीब छात्र जिनको शिक्षा प्राप्त करना है, तकनीकी शिक्षा लेना है, वहां ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: सचीन्द्र जी, माननीय मंत्री जी ने तो साफ साफ कहा है कि अगर चकिया अनुमंडल में पोलिटेकनिक कॉलेज खुल भी जायेगा तो चकिया के गरीब छात्र उसमें पढ़ने कैसे लगेंगे? उसमें तो कम्पटीशन से, टेस्ट से दाखिला होता है । तो संस्थान कहीं रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है । आप ये कहिये कि संख्या बढ़नी चाहिए, सीट की संख्या बढ़नी चाहिए। ये गरीब की बात नहीं, इसमें तो मेरिट की बात है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या उस जिले के या बाहर के जितने लोग उसमें आवेदक होते हैं जिनको उसमें पढ़ाई करने की इच्छा होती है उतने लोग जो नामांकन कराने के लिए एक्जाम देते हैं, क्या उसमें सबों का चयन हो जाता है? अध्यक्ष: नहीं होता है। माननीय मंत्री ने बताया है कि ये तो सीट के हिसाब से मेरिट लिस्ट से होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2584(श्री सरोज यादव)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सर्व श्रीराम को 0 इंडस्ट्रीज, बिहिया, जिला भोजपुर का उत्सर्जन मानक से अधिक पाये जाने के कारण वायु अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत क्लोजर डायरेक्शन दिया गया था इसके विरुद्ध अपीलीय औथिरिटी के यहां अपील वाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0- 421/2017 में दिनांक 30-3-17 को पारित आदेश के आलोक में इकाई उत्पादनरत है।

श्री सरोज यादव: अध्यक्ष महोदय, जो प्लांट लगी हुई है बिहिया में, वह एलवेस्टर प्लांट है। अगल बगल के किसान हमेशा जिलाधिकारी से मिलते हैं जाकर के और आवेदन देने का काम करते हैं उसके कारण अगल बगल का फसल नष्ट हो जाता है, उस गांव में, अगल बगल जो गांव है वहां इतना डस्ट उड़ता है कि लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने में कठिनाई हो रही है।

अध्यक्ष: सरोज जी, वह इकाई क्या चल रही है? मंत्री जी ने तो कहा कि उसका लाईसेंस रद्द है, वह चल रही है क्या इकाई?

श्री सरोज यादव: वह अभी भी चल रही है।

अध्यक्ष: वह मंत्री जी दिखवा लीजिये कि क्या वह अभी भी चल रही है।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, विभाग ने इसकी जांच करायी थी महोदय और विभाग को लगा कि इसमें प्रदूषण है तो विभाग ने उसको क्लोजर का आदेश दिया था लेकिन वे लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट के आदेश वह अभी कार्यरत है।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव: महोदय, मंत्री जी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से कार्यरत है। क्या राज्य सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखने गयी जिससे आमलोगों को जो प्रदूषित होने के कारण फसल नष्ट हो रहा है तो क्या सरकार ने जाकर के न्यायालय में अपने पक्ष को रखा?

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, स्वाभाविक है कोर्ट में हमारे निर्णय के खिलाफ अगर कोई कोर्ट जाता है महोदय, सरकार तो पक्ष रखती ही है महोदय।

अध्यक्ष: इसमें थोड़ा मुस्तैदी रखें।

श्री सरोज यादव: महोदय, जिलाधिकारी से भी लोगों ने बार बार लिखित देकर के मिलने का काम करते रहे हैं और...

अध्यक्ष: सरोज जी, सरकार ने कहा कि उनका लाईसेंस रद्द किया था लेकिन वे कोर्ट जाकर स्टे ले लिये हैं इसी कारण से चल रहा है तो अब इसमें सरकार न्यायालय के माध्यम से ही उसको रोक पायेगी, वह सरकार प्रयास कर रही है ।

टर्न-5/मधुप/03.04.2018

श्री सरोज यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे तो किसानों को न्याय मिल सकता है ।

श्री प्रह्लाद यादव : मेरा एक पूरक है । महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि फैक्ट्री चलाइये, तो क्या जो कंडीशन है, पॉल्यूशन के कारण जो क्षति हो रही है या वहाँ वातावरण खराब हो रहा है, यह भी कोर्ट ने कहा है कि खराब हो रहा हो तो उसपर ध्यान नहीं दीजिये ? उसको तो सरकार को देखना चाहिये । कोर्ट ने आदेश दिया कि चलाइये लेकिन जो प्रक्रिया है, कंडीशन है, उसको तो नहीं कहा है कि आप उसको छोड़ दीजिये ?

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसका तो जवाब दे दीजिये ।

अध्यक्ष : उसको भी देखवा लीजियेगा ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : ठीक है, महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2585 (श्री विजय कुमार खेमका)

श्री कृष्णानन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, अनुदानित अल्पसंख्यक, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत एवं वित्तरहित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु साईकिल, छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, सेनेटरी नेपकीन योजना एवं मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना संचालित है ।

2- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिलों से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप उक्त योजनाओं के लिए जिलों को 6,53,08,57,100/- (छ: अरब तिरपन करोड़ आठ लाख सतावन हजार एक सौ) रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है ।

3- उपरोक्त खण्ड-2 में उत्तर सन्निहित है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, यह छात्र-छात्राओं के भविष्य का सवाल है । हमारे यहाँ पूर्णिया विधान सभा के ईस्ट ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में काफी योजनाओं में पैसा नहीं रहने के कारण, राशि वहाँ नहीं पहुँचने के कारण उनके खाते में लाभ की राशि नहीं पहुँची है । इसलिये महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि पूर्णिया विधान सभा अन्तर्गत जो राशि नहीं पहुँची है उस जिले की, निश्चित रूपेण उसको देखवा कर राशि पहुँचवायेंगे तो उन छात्र-छात्राओं को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2586 (श्री रत्नेश सादा)

श्री कृष्णानन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखण्ड के पंचायत परड़िया के वार्ड नं०-6 में प्राथमिक विद्यालय मंगनमा संचालित है । उक्त विद्यालय में 07 कमरे का पक्का भवन, 02 शौचालय एवं 01 किचेन शेड उपलब्ध है । विद्यालय पूर्णतः विधिवत संचालित है ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को गलत सूचना दी गई है । मंगनमा महादलित टोला वार्ड नं०-6 में अवस्थित है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय । जिस विद्यालय के बारे में कह रहे हैं वह अरसी में अवस्थित है । मंत्री जी को गलत सूचना दी गई है ।

अध्यक्ष : तो आप कहिये जाँच कराने के लिये !

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो पदाधिकारी गलत सूचना आपको दिये हैं, उस पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये जाँच करायें ।

श्री कृष्णानन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : ठीक है, महोदय ।

अध्यक्ष : रत्नेश जी, कार्रवाई करते हुये जाँच कैसे होगी ? जाँच करने के बाद न कार्रवाई होगी ! मंत्री जी, देखवा लीजियेगा इसको ।

श्री रवीन्द्र यादव : सर, नवसृजित विद्यालय में, जहाँ भवन बना हुआ है वहाँ भी शिक्षक नहीं हैं, वह भी बंद पड़ा हुआ है । इन जेनरल सर, हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे मंत्री जी, वैसे विद्यालय जो नवसृजित हैं और जिनके भवन बने हुये हैं, उनपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2587 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री विनोद कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, पटना के पत्रांक-709 दिनांक-28 मार्च, 2018 द्वारा सूचित किया गया है कि बख्तियारपुर राष्ट्रीय उच्च पथ एन०एच०-30 के लिये बी०एस०सी०सी० एंड सी०जे०वी० द्वारा 11,87,798 घन मीटर मिट्टी के लिये 2,50,75,000/- रूपये का भुगतान किया गया है । उक्त कम्पनी द्वारा मात्र 15 हजार घन मीटर के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त किया गया जिसकी राशि 3 लाख 30 हजार रू० होती है । कम्पनी से 2,50,75,000/- में से 3 लाख 30 हजार रूपया घटाने के बाद 2,47,45,000/- रूपये स्वामित्व के समतुल्य खनिज मूल्य की राशि वसूलनीय है । उक्त

मामले में अनियमितता की जाँच विभाग द्वारा कराई गई है एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आदेशानुसार बी०एस०सी०सी० एंड सी०जे०वी पर फतुहा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसका कांड सं० 57/2018 दिनांक- 01 फरवरी, 2018 है ।

2- उपरोक्त कांडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

3- उपरोक्त कांडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है प्रश्न के जवाब में, उनपर जालसाजी का मुकदमा, धोखाधड़ी का मुकदमा भी हुआ है, ऐसी स्थिति में सरकार को उसपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये लेकिन कड़ी कार्रवाई का कोई संकेत इन्होंने अपने जवाब में नहीं दिया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2588 (श्री विद्यासागर केशरी)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिवेदनानुसार इस महाविद्यालय के भवन एवं प्रयोगशाला ध्वस्त होने की सूचना विभाग को दी गई है । आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-148 दिनांक-22.03.2018 द्वारा इस महाविद्यालय के भवन एवं प्रयोगशाला निर्माण हेतु तत्काल रू० 70,00,000/- (सत्तर लाख) मात्र स्वीकृत करते हुए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को प्राक्कलन तैयार कर उसपर तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करते हुए योजना क्रियान्वित करने का निदेश दिया जा चुका है । चहारदिवारी का निर्माण हेतु प्राक्कलन प्राप्त कर निर्माण कराया जायेगा ।

3- इस खण्ड का उत्तर खण्ड 02 में सन्निहित है ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह कार्य कबतक हो जायेगा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : प्रक्रियाधीन है, जितना जल्दी संभव होगा इस कार्य को करा दिया जायेगा ।

श्री विद्यासागर केशरी : चहारदिवारी वाला जो कार्य है, बाढ़ के चलते चारो तरफ का चहारदिवारी पूरी तरह ध्वस्त है, कम से कम चहारदिवारी का काम जल्द से जल्द हो जाय । माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि कबतक करवा देंगे ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2589 (श्री राघव शरण पाण्डेय)

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2590 (श्री रामप्रीत पासवान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,73,620 दिव्यांग बच्चे विभिन्न प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार शिक्षा परियोजना अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान हेतु कुल 1177 संसाधन शिक्षक एवं पुनर्वास विशेषज्ञों ने कार्य किया है।

वस्तुस्थिति यह है कि संसाधन शिक्षकों एवं पुनर्वास विशेषज्ञों का नियोजन कार्यक्रम आधारित अति लघु संविदा पर वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक विभिन्न चरणों में किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुमोदित बजट के आधार पर इन संसाधन शिक्षकों की सेवा ली जाती है।

चूँकि इनका नियोजन कार्यक्रम आधारित अति लघु संविदा पर प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा बजट अनुमोदन के आधार पर किया जाता है। अतः इन शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों की तरह सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षक 2006 से 1200 की संख्या में बिहार में कार्यरत हैं, शिक्षक की भूमिका में हैं और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, ठीक है कि सामान्य शिक्षकों की तरह उनको वेतन नहीं मिलेगा लेकिन समय-समय पर उनको संविदा के आधार पर यदि वे बहाल हैं तो उनके लिए कुछ सरकार व्यवस्था करना चाहती है ?

टर्न-6/आजाद/03.04.2018

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, यह भारत सरकार की योजना है और उसके गार्डलाइन के हिसाब से इसका संचालन होता है। राज्य सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। फिर भी दिव्यांगों से संबंधित मामला है, जहां तक संभव होगा, मैं इसको देखूँगा।

तारांकित प्रश्न सं0-2591(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सिवान जिलान्तर्गत बसंतपुर प्रखंड में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसंतपुर, सिवान के भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान एवं दुकान स्थापित किया गया है। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसंतपुर के पत्र संख्या-20 दिनांक 17.03.2018 द्वारा अंचलाधिकारी, बसंतपुर को अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण भूमि की अवैध कब्जा से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विभागीय पत्र संख्या-931 दिनांक-28.03.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान को प्रश्नगत विद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह प्रोपर्टी जो है अरबों-अरब रू० की है और उसको 40 वर्षों से कब्जा करके रखा गया है । जब जमाबंदी रद्द हो गई, इन्होंने अभी बताया है, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिला पदाधिकारी से अनुरोध होगा । हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों ने मुंसिफ-2 के यहां मुकदमा कर दिया । हाईकोर्ट ने फैसला दिया स्कूल के पक्ष में और मुंसिफ-2 के यहां अपील किया गया है, उसमें इंजेक्शन नहीं है, स्टेटस-को नहीं है, कब तक इसको माननीय मंत्री जी अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखते हैं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है और इस तरह के मामले बहुत सारे विद्यालयों के आते हैं तो जिला पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी हैं और उनसे अनुरोध किया गया है, मैं पुनः अनुरोध व्यक्तिगत रूप से कर दूंगा कि जितना जल्द हो उसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दीजिए । माननीय सदस्य जैसी सूचना दे रहे हैं कि अतिक्रमणकारी अतिक्रमण को लिगलाईज या रेगुलाईज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो वैसे में कहीं बीच में कोई अनावश्यक या गैर-कानूनी अपना हित न साध ले, इस बीच में तो सख्त निर्देश दे करके अतिक्रमणमुक्त करवाईए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : जी, मैं जिला पदाधिकारी से

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी ने उसका जमाबंदी रद्द कर दिया है, लेकिन उन्होंने कानूनी पेंच लगा दिया है हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध तो मैं जानना चाहता हूँ, अनुरोध शब्द कह रहे हैं, गवर्नमेंट अनुरोध करेगी, गवर्नमेंट आदेश करे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितने दिनों के अन्दर अतिक्रमणमुक्त करायेगी ? अनुरोध शब्द बुरी चीज है, गवर्नमेंट वील गीभ ऑर्डर, डौन्ट बी रिक्यूस्ट सर ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं०-2592(श्री यदुवंश कुमार यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : आज के सदन के मैन ऑफ दी डे या मैन ऑफ दी मैच शिक्षा मंत्री हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का जवाब उस अनुरूप नहीं है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : संयोग है, इसके पहले जब भी शिक्षा विभाग का प्रश्न आता था, आपलोग वाकआऊट कर जाते थे । आज पहली दफा मुझे कहने का मौका मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ये लोग आपके प्रश्न वाले दिन वाकआऊट कर जाते थे, इससे आपको सुविधा होती थी या असुविधा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : असुविधा होती थी ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, असुविधा होती थी । इनको परफोर्म करने का अवसर नहीं मिलता था महोदय ।

अध्यक्ष : जिस-जिस दिन माननीय मंत्री जी का प्रश्न दिवस होता है, उस दिन ये अलग परिधान में आते हैं । चलिए अब यदुवंश कुमार यादव जी का सवाल है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-197 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा वैसे 1773 भूमिहीन एवं भवनहीन नये प्राथमिक विद्यालय जो उक्त विद्यालय के बसावट के 01 किलोमीटर परिधि के अन्तर्गत किसी अन्य प्राथमिक अथवा मध्य विद्यालय में संचालित हो रहे थे, उनका संविलियन सम्बद्ध विद्यालय में करने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय के आलोक में सुपौल जिला के पिपरा प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत पथरा उत्तर के प्राथमिक विद्यालय तारटोला दसियाबही को उर्दू मध्य विद्यालय दसियाबही में, प्राथमिक विद्यालय सन्यासी टोला जोल्हनिया को प्राथमिक विद्यालय मु0 टोला पू0प0 निर्मली में तथा प्राथमिक विद्यालय रहिका टोला जोल्हनिया को प्राथमिक विद्यालय मु0 टोला पू0प0 निर्मली में संविलियन किया गया है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, यह भवनहीन तो है लेकिन भूमिहीन नहीं है और भूमि पहले भू-दाता ने निबंधित कर दिया था लेकिन गलत प्रतिवेदन देकर के भूमिहीन बताकर के इस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया और ये सभी पिछड़े, दलित वर्ग का टोला है । दूसरे दूर के टोले में जोड़ने से भारी कठिनाई होती है और गलत ढंग से इस दलित टोले को प्रताड़ित करने के लिए यहां शिक्षण कार्य न चले, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने गलत प्रतिवेदन देकर के विद्यालय को वहां से अलग हटाया है, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिस विद्यालय को भूमिहीन बताया गया है, उनका कहना है कि उनके पास भूमि उपलब्ध है और इस हालत में अगर उसको भूमिहीन बताकर के किसी पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है तो आप किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर अगर गलत प्रतिवेदन है तो कार्रवाई करिए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : ठीक है महोदय ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, निबंधन पत्र हमारे पास है, हम दे सकते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य से सहयोग ले लीजिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : शक्ति जी, पूरक पूछिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, तीन-चार प्रश्न के उत्तर में सम्मेलन शब्द का जिक्र किया है । सरकार की मंशा है और सरकार की इच्छा है कि हम एजुकेशन इम्पावर्डमेंट के दिशा में हरेक टोले में जहां 400 की आबादी है, 500 की आबादी है, वहां विद्यालय खोलें लेकिन सरकार विद्यालय खोलने के बजाय जहां भूमि उपलब्ध है, उसको जोड़कर के वहां से शिक्षा को दूर हटाना चाहती है तो क्या सरकार इस दिशा में जहां ऑलरेडी भूमि उपलब्ध है वहां जो सम्मेलन कराने का, उसको तो आप खतम करिए न ।

अध्यक्ष : शक्ति जी, सम्मेलन तो कोई असंसदीय शब्द भी नहीं है और सम्मेलन तो सकारात्मक शब्द है, मेल-जोल का आपसी संबंध, प्रगाढ़ बनाने का शब्द है, मंत्री जी तो अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, उससे तो टोला कट जा रहा है ।

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, जितने भी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बिहार में बने हैं, उसमें अधिकांश कमजोर वर्गों के टोले में बने हैं और वहां पर इतनी गरीबी है कि वह जमीन नहीं दे सकते । इन्हीं टोलों के स्कूल को फिर दूसरे टोले में जहां पहले से स्कूल है, भेज दिया गया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी कि कितने ऐसे विद्यालय हैं, जहां गरीब लोग बसते हैं और गरीबी की वजह से वहां जमीन नहीं दे सके हैं और विद्यालय उस टोले से 3 कि०मी० दूर चला गया है ?

अध्यक्ष : गफूर साहेब, अगर जमीन नहीं होगी तो विद्यालय भवन बनेगा कहां, यह भी तो बात है । यह आप कहिए कि जहां कोई लोग जमीन नहीं दे पा रहे हैं वहां कोई सरकारी भूमि खोजी जाय, यह बात हो सकती है न । आप शायद लेट आये हैं इससे पहले के एक प्रश्न में यह मामला आया था ।

तारांकित प्रश्न सं०-2593(श्री राज किशोर सिंह)

श्री कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में वर्तमान में विज्ञान विषय के 2 शिक्षक कार्यरत है जबकि गणित विषय के शिक्षक का पद रिक्त है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संगत नियोजन नियमावली में नियोजन की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान को रीड डाऊन कर देने के कारण तत्काल शिक्षकों के नियोजन एवं प्रतिनियोजन करने में कठिनाई है ।

इस क्रम में विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 अन्तर्गत अतिथि शिक्षक(गेस्ट फ़ैकल्टी) मानदेय पर रखने का विकल्प संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति को उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : देखिए, इसपर माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता सदस्य संतुष्ट हैं तो अंतिम गेंद पर तो माननीय मंत्री जी ने छक्का मार दिया ।

श्री संजय सरागवी : सर, उसके बाद वाला पुट करा दीजिए ।

अध्यक्ष : अब तो पुट कराने से भी कोई फायदा नहीं है ।

अब प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

टर्न-7/अंजनी/दि0 03.04.18

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 03 अप्रील, 2018 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहला है - श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री समीर कुमार महासेठ, सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, श्री अमीत कुमार एवं श्री महबूब आलम। दूसरा है - श्री प्रह्लाद यादव जी का।

आज सदन में सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विमर्श का कार्यक्रम निर्धारित है और यह महत्वपूर्ण है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है।

अब शून्य-काल।

(व्यवधान)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय.....

अध्यक्ष : शून्य-काल 26 है, चलने दीजियेगा तो सब लोगों का हो जायेगा। आप बोलिए।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, पिछले रामनवमी के बाद से पूरे बिहार में जिस तरह से जान-माल का नुकसान हुआ, लोगों के मकान, दूकान सब जलाये गये तो क्या सरकार ज्यूडिसियल जांच कराकर उन लोगों को पुनर्वास करना चाहती है? वे लोग बेरोजगार हो गये, भूखमरी पर हैं, रातों-रात रोड पर चले आये तो उन लोगों के लिए पुनर्वास का कार्य कराना चाहती है?

अध्यक्ष : अब शून्य-काल, श्री ललन पासवान। हो गया, वे बता दिये।

शून्य-काल

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-गडहनी स्थित बगवां गांव के पत्रकार स्वर्गीय नवीन निश्चल एवं पत्रकार-विजय सिंह की हत्या स्कॉर्पियो गाड़ी से कर दी गयी। हम सरकार से मांग करते हैं कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दोनों मृतक परिवारों को 25-25 लाख रूपया मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाय।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30.03.2018 को आयी आकस्मिक ओलावृष्टि एवं तूफान से सीतामढ़ी जिले के किसानों और आमजनों को फसल और जान-माल की भारी क्षति हुई है।

अतः जनहित में इन आपदा पीड़ितों की समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार सरकार करे और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाय।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बिहार ग्राम रक्षा दल अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग में 22.02.2018 से अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। मैं सरकार का ध्यान इनकी मांगों की तरफ आकृष्ट करता हूँ और मांग पूरा करने की मांग करता हूँ।

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिलान्तर्गत कुर्था विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड करपी, ग्राम-जोन्हा के पास नाला पर पुल एवं कुर्था प्रखंड के ग्राम-पिजरावां मठिया के पास गंगहर नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश से चार माह पूर्व ही चेक लिस्ट समर्पित किया जा चुका है।

अतः मैं उक्त दोनों पुलों का निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

डॉ विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे ही बिहार सरकार का जमीन उपलब्ध है। जमीन की उपलब्धता का प्रस्ताव अंचलाधिकारी, डोभी एवं समाहर्ता, गया द्वारा भेजा जा चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोभी का भवन निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-224) : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के पिपरौरा-भदवा पथ में केसर नदी के पुल से अकौनी तक तीन किलोमीटर तक सड़क एवं मदाड़ नदी पर पुल नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है।

अतः जनहित में उपरोक्त वर्णित सड़क एवं मदाड़ नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के सत्र 2013-16, 2014-17 और 2015-18 के लाखों छात्र/छात्राओं की परीक्षा विश्वविद्यालय प्रबंधन की विफलता के कारण अबतक नहीं होने के परिणामस्वरूप इनका भविष्य अंधकारमय हो गया है।

अतः सरकार अविलम्ब इन विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर रिजल्ट घोषित करे।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बंजरिया प्रखंड के बेला छपरा से गोवरी जाने वाले सड़क का पुल ध्वस्त हो चुका है।

अतः पुल का निर्माण जल्द-से-जल्द कराने की मांग करता हूँ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12.03.2018 को मोटरयान निरीक्षक, पटना संजय कुमार अशक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में अधीनस्थ महिला कर्मी विन्दु पाण्डे के साथ गलत नीयत से दुर्व्यवहार किया गया । शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई । मैं संजय कुमार अशक पर कार्रवाई की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद नगर में रामनवमी जुलूस के दौरान फैले साम्प्रदायिक तनाव में बहुत सारे निर्दोष लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है एवं बहुत सारी दुकानें आगजनी एवं लूट के शिकार हुए ।

अतः आपसे आग्रह है कि इस घटना की त्वरित जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा, निर्दोषों को बरी एवं आगजनी एवं लूट के पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिया जाये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के पटोरी शहर को नगर पंचायत घोषित किये जाने का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक 1821/सा0, दिनांक 16.11.2016 द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को प्रेषित एवं वर्षों से लंबित है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पटोरी को नगर पंचायत का दर्जा शीघ्र दिया जाय ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अलावे अन्य सभी विभागों, कार्यालयों में नियोजित कार्यपालक सहायकों के पूर्व से लंबित मांगों की पूर्ति नहीं होने के कारण दिनांक 26 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे सारा विकास कार्य ठप है ।

अतः सरकार हड़तालियों से सम्मानजनक वार्ता एवं उनकी मांगों की पूर्ति कर हड़ताल समाप्त कराने की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां सहित पूरे बिहार में कार्यरत पन्द्रह हजार कार्यपालक सहायक की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से आमजन की विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्य प्रभावित है ।

अतः मैं सरकार से उक्त संगठन की मांग पर विचार कर हड़ताल शीघ्र समाप्त कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-203) : अध्यक्ष महोदय, इंटरमीडियट परीक्षा 2018 के उत्तर पुस्तिका कार्य में योगदान नहीं करने वाले मगध विश्वविद्यालय गया के 114 शिक्षकों पर

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कर दिया गया है, जबकि शिक्षक कॉलेज में बी0ए0/बी0एस0सी0 का मूल्यांकन एवं छात्र संघ चुनाव में लगे हुए थे। शिक्षकों पर हुए एफ0आई0आर0 वापस करने की मांग करता हूँ ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय, एक ही नेचर का दो शून्य-काल है और मेरा भी उसी तरह का है कार्यपालक सहायक से संबंधित । हम सरकार से यही मांग करेंगे कि झारखंड में इसी पद पर 28,000 सचिवालय से और 26,000 अन्य कार्यालय से मिल रहा है इसी कार्यपालक सहायक को । मैं सरकार से मांग करूँगा कि एन0डी0ए0 की सरकार यहां पर भी है और झारखंड में भी है, जब वहां 28,000 और 26,000 मिल रहा है तो यहां भी उतना कीजिए । दो नीति वाला काम मत कीजिए ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, एस0सी0-एस0टी0 कानून में संशोधन के खिलाफ भारत बंद के दौरान बिहार में भाजपा-आर0एस0एस0 ने जगह-जगह बंद समर्थकों पर जानलेवा हमला किया । खगड़िया में माले जिला सचिव अरूण दास, मुजफ्फरपुर में आइसा नेता दीपक तथा दरभंगा में मनोज बैठा पर हमला किया गया, हमलावरों की अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एस0सी0-एस0टी0 कानून में संशोधन के खिलाफ भारत बंद के दौरान हमारी पार्टी भाकपा(माले) के खगड़िया जिला सचिव अरूण कुमार दास पर जानलेवा हमला किया गया, वे खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती हैं, नामजद अभियुक्त बजरंग दल के अंजनी कुमार व अक्षय कुमार सहित अन्य हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार किया जाय ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सन 2014 से ग्रामीण आवासीय कर्मी जैसे आवास सहायकों को 6681/-रूपया, आवासीय लेखा सहायक को 9500/-रूपया एवं आवासीय पर्यवेक्षक को 12,500/-रूपया वेतन मिल रहा है, जबकि सन् 2018 से महंगाई पचीस गुणा बढ़ गयी है ।

अतः मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि उपयुक्त नियोजित कर्मियों का वेतन में 50प्रतिशत वेतन बढ़ाया जाय और इनको नियमित किया जाय ।

टर्न-8/शंभु/03.04.18

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : महोदय, बेगुसराय जिला में मंसूरचक प्रखंड अन्तर्गत मसोमात रूकमणी देवी के जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया गया है और तेघड़ा

डी0सी0एल0आर0 पैसे लेकर गलत निर्णय दबंग के पक्ष में कर दिया गया । ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर जाँच करने की मांग करती हूँ ।

अध्यक्ष : पुनम जी, रामदेव बाबू आपकी तरफ देख रहे हैं ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : सर के ही इधर का है ।

अध्यक्ष : मामला उनके इलाके का है ।

श्री विद्यासागर केशरी : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् के सुवाष चौक से हवाई अड्डा पथ जो हवाई अड्डा के मुख्य द्वार तक जाती है । यह सड़क पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत आता है । उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं दोनों ओर ढक्कनदार नाला के निर्माण हेतु सदन से मांग करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, राष्ट्रीय पक्षी मोर की विलुप्त होती प्रजाति को संरक्षित करने हेतु पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के माधोपुर गोविन्द को वन विभाग ने मोर ग्राम घोषित किया है । उक्त स्थान पर सरकार पर्यटकीय सुविधा तथा मोर पक्षी के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्य आरंभ करावे ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत सौराठ सभा गाछी में एक जिला होमियो अस्पताल 1979 से कार्यरत है । दिनांक 18.09.1987 को माननीय सदस्य श्री कृपानाथ पाठक द्वारा पूछे गये प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब पर भी अभी तक इस अस्पताल का सरकारीकरण नहीं हुआ है । अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त अस्पताल का सरकारीकरण अविलंब करावे ।

श्री संजय कुमार तिवारी : महोदय, केरोसीन तेल का उठाव शहरी क्षेत्र के ठेला भेन्डरों के द्वारा नहीं कराकर, संबंधित क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों के द्वारा कराया जाय। केरोसीन तेल की बढ़ती हुई कालाबाजारी से जनता त्रस्त है । मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार अविलम्ब इसपर रोक लगावे ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिले के केशरिया प्रखंड के फुलतकीमा में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन रोड बन रहा है जिसमें संवेदक संतोष कुमार द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है । हम चाहेंगे कि सरकार इस पथ का स्वयं जाँच कर उचित कार्रवाई करे ।

श्री रामदेव राय : महोदय, बछवाड़ा बेगुसराय के चक्की निवासी चमरू राय चमथा-1 निवासी लालो चौधरी की हत्या क्रमशः 29 एवं 30 मार्च को रात्रि में अपराधियों द्वारा कर दी गयी । इलाके में आतंक भय का माहौल है । सरकार से अपराधियों को पकड़ने एवं मृतक परिवार को 10 लाख एवं चमथा को थाना बनाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री शक्ति सिंह यादव प्रारंभ करें ।

श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत थरथरी प्रखंड के खरजमा नड़ारी आर0इ0ओ0 पथ से छरियारी जानेवाली आर0डब्लू0डी0 पथ जर्जर स्थिति में है । अतः उक्त पथ को बनाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना । श्री मो० नेमतुल्लाह एवं अन्य द्वारा दी गयी सूचना पढ़ी हुई है, शिक्षा विभाग ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री मो० नेमतुल्लाह, फैयाज अहमद एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- श्री कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधिनियम 1981 की धारा(5) के अधीन बोर्ड का गठन किया जाता है । विभागीय अधिसूचना सं०-461, दिनांक-24.06.2015 द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है । जिसमें अध्यक्ष के साथ 5 पदेन सदस्य हैं । शेष सदस्यों के नामांकन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
- श्री मो०नेमतुल्लाह : प्रक्रियाधीन है, 2015 से इनका रिक्त है, सिर्फ कामचलाऊ चाहिए । बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य हैं । बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं । निदेशक ऊर्दू, फारसी रिसर्च इन्सटीच्यूट के होते हैं और स्पेशल डायरेक्टर होते हैं । ये चार से ही चला रहे हैं और हाईकोर्ट ने कह दिया है कि कोई भी निर्णय जो होगा वह बोर्ड के द्वारा होगा । इनका एक निर्णय हुआ था जो चेयरमैन किया, उसको हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया और कहा कि बोर्ड से विदाउट एप्रूवल इसकी कोई मान्यता नहीं है । इसलिए फुलफ्लेज बोर्ड जिसमें एडवोकेट एक रिप्रजेन्टिव रहता है, एम०एल०ए०, एम०एल०सी०, एम०पी० का रिप्रजेन्टिव यहां से भी आपके द्वारा मनोनीत किया जाता है, आसन के द्वारा मनोनीत किया जाता है । उन लोगों की भी उपेक्षा हो रही है 2015 से और इस तरह से अनियमितता मदरसा बोर्ड में हो रहा है जैसे कि एक चेयरमैन हैं 85 वर्ष के, लेकिन वे काम नहीं करते हैं, आते हैं औफिस में और उनको लेकर ये चला रहे हैं मदरसा बोर्ड इसलिए मदरसा बोर्ड फुल रूप से कब तक निश्चित डेट बताइये कब तक गठित कीजिएगा ।
- श्री कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नेमतुल्लाह साहब की बातों से मैं इत्तेफा करता हूँ और जो इसके गठन की प्रक्रिया है, अभी तक जो स्थिति है । इसमें एक अध्यक्ष जो इस अधिनियम की धारा-10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा डा० मु०शमशाद हुसैन- ये वर्तमान अध्यक्ष हैं । शिक्षा निदेशक इसके पदेन सदस्य होंगे, निदेशक अरबी एवं फारसी स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान पटना, प्राचार्य मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा, अध्यक्ष बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार विधान मंडल के तीन सदस्य दो विधान सभा से तथा एक विधान परिषद् से मनोनयन होगा । ये सारी बातें हैं और यह प्रक्रियाधीन है । हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द.....

श्री मो0नेमतुल्लाह : समय बताइये कब तक कीजिएगा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : इन्शाअल्लाह बहुत जल्द ।

श्री मो0नेमतुल्लाह : इसका कोई मतलब नहीं होता है हुजूर, कहें कि 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीना में ये बता दें । बहुत जल्द का कोई मतलब नहीं होता है ।

अध्यक्ष : ये जितनी बात बोले उसमें एक शब्द सिर्फ आपके लिए बोले शब्द है वह है इन्शाअल्लाह।

श्री मो0नेमतुल्लाह : उसमें गुंजाइश हो जाती है लंबा खींचने का ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको शीघ्र करा दीजिए ।

अब श्री सुधांशु शेखर एवं अन्य द्वारा पढ़ी गयी सूचना, पंचायती राज विभाग ।

सर्वश्री सुधांशु शेखर, रामप्रीत पासवान एवं श्री राजू तिवारी, स0वि0स0 से प्राप्त
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है । जिसका उद्देश्य पंचायत के सभी कार्यों का निष्पादन एक ही स्थान से हो सके । प्रथम चरण में विभाग के द्वारा 1435 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । जिसके विरुद्ध अब तक 1002 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 179 पंचायत सरकार भवनों का कार्य पूर्ण है जिसकी कार्यकारी एजेन्सी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, योजना एवं विकास विभाग को बनाया गया है । 895 पंचायत सरकार भवन का हस्तांतरण किया जा चुका है । शेष निर्मित पंचायत सरकार भवनों के हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । निर्मित पंचायत सरकार भवनों में कार्यालय क्रियाशील करने के दृष्टिकोण से उपस्कर एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 807 पंचायत सरकार भवन के लिए 5-5 लाख रूपया प्रति पंचायत सरकार भवन की दर से कुल 40 करोड़ 35 लाख रूपये की राशि संबंधित उप विकास आयुक्त को आवंटित की गयी है । पुनः विभागीय पत्रांक-77, दिनांक 19.03.18 के द्वारा 189 निर्मित पंचायत सरकार भवनों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु कुल 9 करोड़ 45 लाख रूपये का आवंटन पूर्व में पूर्ण 807 पंचायत सरकार भवनों के लिए प्रति पंचायत 1-1 लाख रूपये की दर से एवं 7390 पंचायतों को 50 हजार रूपया की दर से पंचायत भवनों में रख-रखाव प्रशासनिक व्यय, उपस्कर क्रय हेतु कुल 54 करोड़ 47 लाख रूपया का आवंटन संबंधित जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दी गयी है ।

क्रमशः

टर्न-9/अशोक/03.04.2018

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री : क्रमशः .. प्रशासनिक उपस्कर क्रय हेतु कुल 54 करोड़ 47 लाख रूपये का आवंटन संबंधित जिला पंचायत पदाधिकारी को दी गई है । इसके अतिरिक्त राज्य के 12 परियोजना जिले पटना, नालंदा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल,

मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी के चयनित 330 पंचायतों में बिहार ग्राम्य स्वरोजगार सोसाईटी के माध्यम से पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने हेतु उपस्कर आदि की आपूर्ति की गई है। सभी क्रियाशील पंचायत सरकार भवनों में पंचायत स्तर पर कार्य, सरकारी कर्मियों को पंचायत सरकार भवन में कार्य करने का निर्देश दिया गया है। पंचायत सरकार भवनों को जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने तथा कर्मियों के अभाव में महीनों बंद रहने, जानवरों को बांधने या भवनों पर कब्जा करने से संबंधित सूचना विभाग को नहीं है।

सर्वश्री संजीव चौरसिया, संजय सरावगी एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [कृषि विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग]
की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : सूचना पढ़ी हुई है, माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार के कुल 17 जिलों यथा पूर्वीचम्पारण, औरंगाबाद, नवादा, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, नालन्दा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, गया, सारण, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली एवं शेखपुरा के कुल 1620.01 एकड़ रकवा में पान फसल की खेती होती है।

राज्य में जनवरी, 2018 में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण कुछ जिलों में पान फसल की क्षति की सूचना मिली है। क्षति के आकलन हेतु सहायक निदेशक, उद्यान को निदेशित किया गया है। कुल 17 पान उत्पादक जिलों में से 11 जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 1032.40 एकड़ रकवा में पान की फसल की क्षति हुई है। पान फसल की क्षति की मुआवजा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अध्यक्ष : ठीक। हां पूछिये।

श्री संजीव चौरसिया : पान फसल से जो पहचान मिली है, बिहार की दृष्टि से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है क्या? अगर सर्वे पूर्ण हो चुका है तो मार्च-अप्रैल से पान की खेती प्रारम्भ जब होगी तो मुआवजा देने का कुछ समय निर्धारण करने का कष्ट करें, एक। दूसरा केवल, मैं माननीय मंत्री से पहले भी आग्रह कर चुका हूँ, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि पान को कृषि का दर्जा देने का कोई ठोस कदम उठाने का बिहार सरकार ने किया है क्या? ताकि इसके माध्यम से बार-बार जो क्षति होती है तो उसके मुआवजा किसान बीमा के माध्यम से मिल

पाये, इसके लिये भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि इसको सुनिश्चित करने का काम करें ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, सर्वे पूरा करा लिया गया है, एक महीना के अंदर महोदय जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा किसानों को दे दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक ।

सर्वश्री अशोक कुमार, वीरेन्द्र कुमार एवं श्री समीर कुमार महासेठ, स.वि.स से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग] की ओर से वक्तव्य।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण सूचना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों, जो लिखने में सक्षम नहीं है, के लिए श्रुतिलेखक का पूल बनाये जाने से संबंधित है ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या- 9529 दिनांक 01.07.2015 द्वारा सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित लिखने में अक्षम अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान के अन्तर्गत श्रुतिलेखक के लिए 100/- रूपये मात्र की दर से पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई है, जिसका भुगतान परीक्षा आयोजित की जाने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा । श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे होगी । साथ ही ऐसी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा हेतु निर्धारित समय के साथ-साथ प्रति घंटा 15 मिनट की दर से न्यूनतम 15 मिनट एवं अधिकतम 45 मिनट तक का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने का प्रावधान है । इसके आलोक में यदि सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थी को परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा श्रुतिलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो अभ्यर्थी स्वयं इसकी व्यवस्था कर सकते हैं एवं इसका भुगतान संस्था द्वारा किया जायेगा ।

इस संबंध में राज्याधीन सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराने वाले मुख्य संस्थाओं यथा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती) एवं बिहार सुयंक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रतिवेदानुसार आयोग द्वारा अबतक की परीक्षाओं में ऐसे मामले प्रकाश में नहीं आये हैं । भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आयोग द्वारा नियमानुसार श्रुतिलेखक एवं अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जायेगा ।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई 56 वीं से 59 वीं एवं 60 वीं से 62 वीं सुयंक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी-सह-परीक्षा संयोजक के संज्ञान में लाते हुए केन्द्राधीक्षकों के माध्यम से से श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया गया है । ऐसे अभ्यर्थियों को प्रावधानानुसार अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया है ।

उपर्युक्त के आलोक में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए श्रुतिलेखक का पूल बनाये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सरकार के जवाब से लगता है कि दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील सरकार नहीं है । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित कितने व्यक्ति इस राज्य में हैं ? इस राज्य में कितने व्यक्ति प्रभावित हैं ?

अध्यक्ष : इसकी कोई संख्या अभी थोड़े ही उपलब्ध होगी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : है सर, है सर ।

अध्यक्ष : है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से बताया है महोदय माननीय सदस्य को कि ऐसे...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य संख्या पूछ रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : संख्या तो नहीं है, संख्या माननीय सदस्य को हम अलग से दे देंगे ।

अध्यक्ष : अभी संख्या उपलब्ध नहीं है, अगला पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : लेकिन ऐसी सूचनायें प्राप्त नहीं है जो बाधित हुये हैं उसके बारे में स्पष्ट किया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, 2015 में विभाग जो इस चीज का सेंसिटिवनेस के नाते जो निर्देश जारी हुआ तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसके बाद कितने सेरिब्रल पॉल्सी प्रभावित व्यक्तियों ने परीक्षा दी ? उन्हें श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया गया या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जवाब में कहा है कि जितने सेरिब्रल पॉल्सी से ग्रस्त लोग हैं, जहां भी उन्होंने मांगा है उनको उपलब्ध भी कराया गया है, उनको उसके लिये जो निर्धारित अतिरिक्त समय होता है उनको दिया जाता है, वह भी दिया जाता है, इसके अलावा सरकार ने यह पॉल्सी भी बनाकर रखी है कि अगर श्रुतिलेखक वह स्वयं लेकर आते हैं तो उनको भी अनुमति दी जाती है । यह तो सरकार ने बताया।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, श्रुतिलेखक का मतलब कहीं सरकार ऐसा तो नहीं सोच रही है शार्टहैंड से रिलेटेड है ?

अध्यक्ष : वह आशुलिपिक होता है न । शार्टहैंड आशुलिपिक होता है, श्रुतिलेखक का तो शब्द से ही स्पष्ट है कि सुनकर लिखने वाला ।

श्री समीर कुमार महासेठ : राईट । वही हमको लग रहा है कि सरकार ..

- अध्यक्ष : नहीं, नहीं। सरकार इतनी गलतफहमी में थोड़े रहती है। चलिये।
- श्री समीर कुमार महासेठ : दिव्यांग के प्रति भारत सरकार
- अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव।
- श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मेरा लास्ट पूरक है।
- अध्यक्ष : चलिये, आपका लास्ट।
- श्री समीर कुमार महासेठ : श्रुतिलेखक के लिए केन्द्रीयकृत अथवा क्षेत्रीय स्तर पर कौन सी व्यवस्था की जाय जिनसे श्रुतिलेखक कर्णांकित हो सके, कारण कि अगर भविष्य में इसका आकलन नहीं होगा, सही चीज पर नहीं आवेंगे तो हम केवल जो पहले का निर्देश 2015 का, वहीं का वहीं रह जायेंगे चूंकि आपको चिन्ता करना चाहिये, ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन उनको परीक्षा ही नहीं देने दिया जा रहा है।
- अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह मामला कि कितने लोग सेरिब्रल पॉल्सी से ग्रस्त हैं, यह तो स्वास्थ्य विभाग का दायरा बनेगा तो उसके लिए सरकार उसको देखेगी। माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव।

श्री ललित कुमार यादव, स.वि.स. से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा
उस पर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बिहार राज्य में प्राचीन वैशाली गणतंत्र के वर्तमान भू-भाग में बज्जिका भाषा एक समृद्ध एवं लोक जीवन से समृद्ध भाषा रही है, जिसका साहित्य बिहार के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में संरक्षित है लेकिन व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में यह भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। राज्य सरकार बिहार में भोजपुरी, मैथिली एवं मगही भाषा की अकादमी का गठन कर चुकी है। बज्जिका एक ऐसी भाषा है जो उत्तर बिहार के 11 जिलों में 3 करोड़ से अधिक आबादी के बोलचाल में है, इसकी अनेक लोक गाथाएँ एवं समृद्ध साहित्य के साथ-साथ काव्य एवं महाकाव्य की रचनाएँ उपलब्ध है। 16 जनवरी, 2010 में सरकार द्वारा बज्जिका अकादमी की गठन की घोषणा के बावजूद अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया है।

अतः बज्जिका भाषा की अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं बज्जिका अकादमी का गठन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

टर्न-10/03-04-2018/ज्योति

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार राज्य में प्रचलित सभी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवं संवर्द्धन हेतु

प्रतिबद्ध है। पूर्व में कई क्षेत्रीय भाषाओं के विकास हेतु भाषीय अकादमियाँ गठित होकर संचालित हैं। बज्जिका भाषा के उन्नयन के लिए अलग से बज्जिका अकादमी के गठन की उपादेयता पर सरकार विचार कर निर्णय करेगी।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, हम एक मात्र जानना चाहते हैं कि प्रश्न में भी ध्यानाकर्षण में भी, 16 जनवरी, 2010 को वैशाली में मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कोंफ्रेंस करके बज्जिका भाषा अकादमी प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय की पढ़ाई अविलम्ब शुरू करने की घोषणा की थी। जब सरकार, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वर्तमान जदयू की सरकार है, जदयू के घोषणा पत्र के कौलम 27 में बज्जिका भाषा के संरक्षण का वचन दिया गया था तो महोदय, जब सरकार की घोषणा है, तो विलम्ब क्यों एक समय सीमा निर्धारित करें महोदय। एक समय घोषित करें कि कब तक ये करेंगे।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और उसके महत्व को मैं इन्कार नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि बहुत सारी भाषाओं की..

अध्यक्ष: आपकी बात से वह सहमत हैं।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: जी। हम मुतफिक हैं और हम समझते हैं कि आपने जिन बातों को उठाया है उसकी अहमियत है, उसके महत्व को हम नकारते नहीं हैं।

श्री ललित कुमार यादव: समय सीमा कुछ बताईये, छः महीना, छः साल, 10 साल आप कुछ समय बताईये यानी हमलोग तो चाहते हैं कि आप सब दिन मंत्री रहें।

अध्यक्ष: अगर मंत्री जी समय सीमा बतायेंगे, तो आपके काम में देरी हो जायेगी।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, हमलोगों की शुभकामना है कि मंत्री जी पूरे कार्यकाल तक रहें लेकिन ये कब तक मंत्री हैं, यह हमलोगों की शुभकामना ऐसी है नहीं, लेकिन एक समय सीमा कुछ बतला दीजिये।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: बज्जिका भाषा के महत्व को समझते हुए हम कोई समय सीमा में नहीं बांधना चाहते, उसमें कठिनाई हो सकती है, हम इतना आश्वस्त करते हैं कि इस पर हमलोग गंभीरता से विचार करेंगे और आपकी इच्छानुसार इसको सम्मान मिलेगा।

अध्यक्ष: चलिए, आपके इच्छानुसार सम्मान मिलेगा। प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (2) के तहत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

याचिकाओं का उपस्थापन

सभा सचिव: महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 296 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/3.4.2018/बिपिन

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विमर्श

माननीय सदस्यगण, अब सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विमर्श होगा । इस विमर्श एवं इसपर सरकार के उत्तर के लिए कुल दो घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और सरकार को उत्तर के लिए भी इसी में से समय दिया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पार्टी का जो समय होगा उसमें से न सरकार बोलेगी !

अध्यक्ष: सरकार तो एक ही होती है न ! आप पुराने सदस्य हैं । यही परम्परा है ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	30 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	25 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	20 मिनट
इंडियन नेशनल काँग्रेस-		10 मिनट
सी.पी.आई. एम.एल.	-	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	01 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा-		01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी-		01 मिनट
निर्दलीय	-	02 मिनट
सरकार को उत्तर के लिए-		30 मिनट ।

वैसे भी अमूमन सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही समय निकाल कर सरकार को दिया जाता है ।

माननीय सदस्यगण, आज हमलोग एक बहुत ही अहम् मुद्दे पर विमर्श कर रहे हैं । यह सतत् विकास या टिकाऊ विकास या अन्य कई और नामों से, जैसे स्वपोषणीय विकास जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, यह आज दुनिया भर में सरकारों, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों एवं कारोबारी समूहों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है । इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चाओं, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का निरंतर आयोजन हो रहा है । निश्चित

रूप से सतत् विकास का विचार और इसकी महत्ता समकालीन दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि यह मानव समुदाय के साथ-साथ पर्यावरण के अस्तित्व से जुड़ी हुई बात है। अगर प्राकृतिक संसाधनों एवं वातावरण का लगातार क्षय होता रहा तो मानव जीवन ही अस्थिर हो जायेगा और सम्पूर्ण जैव-तंत्र नष्ट होने की संभावना बन जायेगी। इसे हासिल करने के लिए निर्णय निर्माण में व्यापक जन-भागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व को मूलभूत आधार बनाने की आवश्यकता है।

सतत् विकास सामाजिक-आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी एवं पर्यावरण की सहन शक्ति की सीमा तक ही विकास की बात की जाती है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़े। इस सोच की बुनियाद 1960 के दशक में तब हुई जब लोग औद्योगिकीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों के घटते भंडार और पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभावों से प्रत्यक्ष तौर पर रू-ब-रू हुए। प्रकृति के बहुमूल्य एवं सीमित संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाएँ एवं उत्पादन प्रणालियों के धीमे होने या उनके बंद होने का भी भय व्याप्त हो गया।

सतत् विकास को विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। यह मनुष्य एवं पर्यावरण के अंतर्संबंध को रेखांकित करते हुए सचेत करता है कि मनुष्य पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं कर सकता। पर्यावरणीय संरक्षण हेतु अंतर-पीढ़ियों की समानता भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी उतना उपयोग न करे कि वे आने वाले पीढ़ियों के लिए दुर्लभ ही हो जाय। महात्मा गाँधी ने पूर्व में ही पर्यावरण संरक्षण हेतु इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में न्यासधारिता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था जो उनका बहुत विख्यात ट्रस्टीशिप थ्योरी है। उनके अनुसार, महात्मा गाँधी के अनुसार हर पीढ़ी तत्कालीन प्राकृतिक संसाधनों के भंडार का न्यासधारी होता है, ट्रस्टी होता है और उसे उसका उपयोग ऐसे करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को इन संसाधनों को पूर्व के रूप में ही वह सौंपे दे। इसके लिए ही स्वपोषणीय विकास या टिकाऊ विकास की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की पहल पर पेरिस में 193 देशों ने यह प्रस्ताव पारित किया कि विश्व में सतत् विकास के लक्ष्य को अपना कर भविष्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी और भूख को समाप्त करने एवं लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ। सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने के लिए 17 सतत् विकास के लक्ष्यों को संकल्प के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके आरंभ की तिथि 1 जून, 2016 और वर्ष 2030 तक इसे हासिल

करने का लक्ष्य रखा गया है । विदित हो कि वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, उसी का यह संवर्द्धित रूप बनकर उभर कर सामने आया है ।

सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम विधायकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक सेवाओं के प्रभावकारी वितरण के साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में योजनाओं के लगातार अनुश्रवण कर विधायक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि के संबंध में आवश्यक जन-जागरूकता निर्माण में भी विधायकों की महती भूमिका हो सकती है । बिहार में भी कई योजनाएं चलायी गई हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सतत् विकास के लक्ष्यों के मानक से जुड़ी हैं । आज अभी इसी विषय पर सदन में चर्चा निर्धारित है और हम विमर्श करेंगे कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, बेहतर उपलब्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं । हम यही माननीय सदस्यों से, सदन से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि यह रचनात्मक विमर्श है । यह कोई आरोप-प्रत्यारोप का विमर्श नहीं हो सकता है । यह लक्ष्य हमारे सामने है जो इस सदन के सामने लक्ष्य है और हमारा सबका दायित्व है कि चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो कोई सदस्य हों, सब मिलकर इस लक्ष्य को हम कैसे हासिल कर सकते हैं जिससे कि विकास के जो अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने बनाए गए हैं उन पैमानों पर हम कैसे अधिक-से-अधिक खरे उतरें या हम अपने बिहार को कैसे अधिक-से-अधिक उन पैमानों की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं । इसलिए प्रतिपक्ष भी सरकार से हमेशा उम्मीद रखेगा कि इसमें और कौन-सी योजनाएं किस रूप से चलायी जाएं । सरकार की भी अपेक्षा होगी कि विपक्ष से किस रूप में सहयोग मिलता है । मेरा यही आग्रह होगा कि इस विमर्श को हमलोग रचनात्मक दिशा में ले जाएं जिससे कि सही मायने में जो हम बिहार के लोगों को सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल कर उनको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, विकास को टिकाऊ बनाना चाह रहे हैं, उसमें इस सार्थक मंथन से कुछ विचार, कुछ बातें ऐसी निकलें जिससे कि भविष्य में बिहार की जनता को लाभ हो । इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस विमर्श का प्रारंभ करेंगे ।

टर्न: 12/कृष्ण/03.04.2018

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार से यह भी कह दिया जाय कि जो भी विपक्ष की सलाह हो, उसको सरकार सही रूप में ले ।

अध्यक्ष : बिल्कुल ।

श्री भाई वीरेन्द्र : ऐसा नहीं कि केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करे । डबल इंजन की सरकार है, घोषणायें बहुत सारी हुई । जो घोषणा किये वह पैसा भी सरकार को मिला नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें प्रसन्नता है कि आज आप सदन में एक ऐसे विषय पर, सतत् विकास के लक्ष्य पर चर्चा करा रहे हैं । इसके लिये हम आपके प्रति आभारी हैं । महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत् विकास 2030 के 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य चिन्हित किया गया है । महोदय, सदन में कई विभाग के माननीय मंत्री हैं और सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आज देश और दुनिया में चर्चा हो रही है और सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये लगातार सेमिनार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर और प्रांत स्तर पर लगातार होते रहें हैं और होते रहेंगे ।

महोदय, विकास की सीढ़ियां कभी आगे बढ़ती है तो कभी-कभी पीछे भी उतरते देखें हैं । इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार का मन कैसा है, सरकार की भावना कैसी है और सरकार की काम करने की इच्छाशक्ति कैसी है ? ये सब सरकार पर भी निर्भर करती है ।

महोदय, इस सरकार ने शब्दों का जाला बिछाना बयानबाजी करना, टी0वी0 तथा मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना, जिससे किसी राज्य का सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकता है । राज्य के सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार को सकारात्मक सोच रखना होगा और विपक्ष को भी साथ लेकर चलना होगा। जब तक सरकार, सत्ता पक्ष केवल इस घमंड में चूर रहे कि विकास उन्हीं का दायित्व है, नहीं, महोदय, बिहार की 12 करोड़ की जनता है और देश की जो सवा सौ करोड़ जनता है, उसमें पक्ष और विपक्ष होते हैं और दोनों की अपनी-अपनी भूमिकायें होती हैं और अपनी-अपनी सीमायें होती हैं । ठीक है । आप सत्ता पक्ष में हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेवारी है लेकिन महोदय, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है ।

महोदय, हमारे संविधान में गरीबों, पिछड़ों एवं दलितों को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं । महोदय, सारे जहां से अच्छा हिन्दुतां हमारा जिसमें हम हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई-भाई करके जब तक हम राज्य और देश में नहीं रहेंगे तबतक सुख-शांति और सतत् विकास के लक्ष्य की हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं । महोदय, इस राज्य में यह निश्चित रूप से होना चाहिए कि भाई चारा, अमन-चैन, धार्मिक सद्भाव और धार्मिक सद्भावना बना रहे राज्य में, महोदय, इसका घोर अभाव परिलक्षित होता है ।

महोदय, हम बहुत बात बताना नहीं चाहते हैं । महोदय, हम पक्ष और विपक्ष सकारात्मक सोच रखें । महोदय, बिहार जैसे विकासशील शासक को समझना होगा कि अगर सम्पूर्ण राज्य की प्रगति को महत्व देते हैं तो विकास और आवश्यकताओं के सभी संसाधनों को केवल शहरों में झोंकने के बजाय आपको गांवों में भी विकास करना होगा । जबतक गांवों का विकास नहीं करेंगे, केवल शहर मात्र का

विकास करेंगे तो लगता नहीं है कि गांवों में जो 85 प्रतिशत गरीब लोग रहते हैं, मात्र शहरों का विकास कर देने से, जहां मात्र 15 प्रतिशत की आबादी निवास करती है, केवल उससे राज्य और देश का विकास संभव नहीं है सतत् विकास के लक्ष्य जो है उसकी भी प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिये हमको शहरों के साथ-साथ गांवों का भी विकास करना होगा जहां गांवों में गरीब किसान, मजदूर रहते हैं, जिसकी माली हालत बद से बदत्तर होती है उसको ऊपर उठाने के लिये बहुत जरूरी है। महोदय, हम दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा किसी भी समाज के लिये बहुत जरूरी है। ज्ञान ही समाज को आगे बढ़ाता है, ज्ञान के बिना न तो समाज आगे बढ़ सकता है, न राज्य और देश आगे बढ़ सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी कहा करते थे कि “पढ़ो या मरो”। महोदय, “पढ़ो या मरो” का नारा क्यों दिया गया ? महोदय, किसी समाज की उन्नति करने के लिये जिसका परिणाम आज समाज में दिखाई दे रहा है, सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षक और प्रोफेसर हैं, वह उन्हीं के समय का बहाल किया हुआ है जो आज शिक्षा जगत की रीढ़ है और शिक्षा जगत में आमूल परिवर्तन हुआ है।

महोदय, वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें अपार सुधार की जरूरत है महोदय, आज शिक्षक के बिना विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को अध्ययन में काफी कठिनाई हो रही है। जहां एक तरफ शिक्षक नहीं हैं वहीं दूसरी तरफ विद्यालय भवन नहीं हैं, हमारे प्रदेशों में कुल कितने भवनहीन विद्यालय हैं, हमारी सरकार को इसका आंकड़ा रखना चाहिए। आज ही सदन में कितने प्रश्न आये थे, महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार की नीति क्या है, अभी डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से बिहार के विकास की गति तेज होगी, राज्य में भवनहीन विद्यालय हैं, शिक्षकविहीन विद्यालय हैं, इन सभी बिन्दुओं पर सरकार फेल है जिससे सतत् विकास की आशा रखना भी जुमला के समान होगा।

महोदय, आज राज्य में सात निश्चय का कार्यक्रम है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन यह ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है महोदय, जैसे ईद का चांद है। मुख्यमंत्री जी आते हैं और ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम की तरह लगता है। फिर वह सपना की तरह बिखर जाता है। महोदय, उनका कार्यक्रम होता है, जबतक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है, उनके जाने के बाद वह सपना केवल सपना ही रह जाता है, सपना चूर हो जाता है।

महोदय, हमलोगों के सामने आज जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव भी एक समस्या है, जिससे आनेवाली पीढ़ी को खतरा है, जिसपर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। महोदय, आपने कहा कि प्रकृति से भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यह हम सभी का दायित्व है। चाहे हम सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में हों, सभी की चिन्ता

है बिहार का सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति । वे सत्ता में हैं और हमलोग विपक्ष में हैं और हम दोनों का एक ही लक्ष्य है। महोदय, राज्य का निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास के लिये पूर्ण उत्पादकता, रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देना है जिसमें वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल है । इस परिस्थिति में सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव है, जो चिन्ता का विषय है ।

महोदय, महिलाओं और छात्र-छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन उच्च शिक्षा में इनकी संख्या जो घट रही है, वह चिन्ता का विषय है । सतत् विकास के लिये किसी भी राज्य के लिये विधि-व्यवस्था बहुत मायने रखती है । लेकिन वर्तमान सरकार में हिंसक घटनायें, चोरी, डकैती, बलात्कार और गंभीर घटनायें घटती रही है जिसे कि तमाम माननीय सदस्य समाचार पत्रों में देखते हैं और हम ऐसा सतत् विकास का दावा करते हैं, हमको लगता है कि यह बहुत उपयुक्त नहीं है ।

महोदय, सतत् विकास के लिये राज्य में वित्तीय प्रबंधन का कुशल होना बहुत ही आवश्यक है । लेकिन वर्तमान डबल इंजन की सरकार में हम इसको नकारात्मक शब्दों में में आलोचना नहीं करना चाहते हैं लेकिन यह सरकार घोटालों के महाजाल में फंसी हुई है, महोदय, कितने घोटाले का नाम गिनाऊं - सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, धान खरीद घोटाला, बोरा खरीद घोटाला, चावल खरीद घोटाला, दवा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, टॉपर घोटाला, प्रश्न पत्र लीक घोटाला, खाद घोटाला, महोदय, कितने घोटालों का नाम हम गिनायें और यह संभव नहीं है कि इतने घोटाले के बल पर सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हम बिहार में कर सकते हैं । महोदय, आपको और सरकार को इस सतत् विकास के लक्ष्य की प्राप्ति पर चर्चा कराने के लिये धन्यवाद देता हूँ । लेकिन महोदय, इसके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनरल असेम्बली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने 2000 में ही प्रस्ताव पारित करके चिन्ता जताई थी । उस समय में 2015 तक 18 विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त कर लेना था लेकिन 2000 से 2005 तक तत्कालीन सरकार और उसके मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी द्वारा काफी हद तक लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया था । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे विषय पर आपने संगोष्ठी कराने का सेमिनार कराने का ओर चर्चा कराने का काम किया, इसके लिये पुनः आपके प्रति महोदय, आभार प्रकट करता हूँ ।

एक शब्द और । महोदय, बिहार बहुत गरीब राज्य है । माननीय प्रधान मंत्री जी 500 करोड़ की घोषणा करके गये, कितना प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसको बतायेंगे । महोदय, मनरेगा योजना में, सारी योजनाओं में अभी तक कितनी राशि प्राप्त हुई, महोदय, गरीब राज्य के साथ यह क्या है, केन्द्र सरकार का सौतेलापन व्यवहार है । इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : डॉ० रंजु गीता ।

टर्न-13/सत्येन्द्र/3-4-18

डॉ० रंजू गीता: सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में पहली बार इस सदन में सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विचार विमर्श का आपने समय ही निर्धारित नहीं किया बल्कि विस्तार से उस पर विमर्श कराने का काम किया है इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ महोदय । महोदय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक जो हमारे पुरखों ने इसके बचाव के लिए जो लक्ष्य दिया था, मैं आभार प्रकट करती हूँ परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति जिन्होंने इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सतत् प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत हैं । अध्यक्ष महोदय, बापू ने हमें आजादी दी, लोहिया और जे०पी० ने हमें आजादी की रक्षा करने और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष का रास्ता दिखलाया तथा डॉ० अम्बेदकर ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधानरूपी रक्षा कबच देने का काम किया । महोदय, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब ब्रिटेन के चर्चिल ने ब्रिटेन का सत्ता संभालने और बागडोर संभालने का काम किया था तो उस समय वहां की बहुत ही विषम और विकट परिस्थिति थी । चर्चिल ने अपने देशवासियों के संबोधन में कहा था कि देशवासियों, अगर अपने देश को विकसित करना है, मजबूत करना है, सशक्त बनाना है तो अपने देश के इतिहास को पीछे जितना मुड़कर देखना चाहते हो देखो और देखना चाहते हो तो देख सको । ठीक उसी प्रकार नेतृत्व करने की क्षमता, व्यक्तित्व की क्षमता, कृत्तित्व की क्षमता जो आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रति है, उनमें जो कार्य करने की कुशल क्षमता है, नेतृत्व करने की जो कुशल क्षमता है, वह राज्य ही नहीं, देश के अन्य नेताओं की जो लंबी कतार लगी है उन सब में अलग थलग है महोदय, उनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है । महोदय, सदन में बैठे हुए हर माननीय सदस्य से मैं अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि 2005 के पहले का बिहार का इतिहास अपने जेहन में जरूर रखने का, याद करने का काम करें, तभी बिहार के विकास कार्यों का उन्हें याद होगा और वे समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे । महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2005 में पहली बार बिहार की सत्ता संभाली तो पत्रकार भाईयों एवं प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने उनसे यह पूछने का काम किया कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी ? मैं यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस हो रही हूँ महोदय कि उन्होंने कहने का काम किया, एक ही वाक्य को तीन बार दुहराने का काम किया कि मेरी पहली प्राथमिकता सुशासन, सुशासन, सुशासन बिहार में देने की है और उन्होंने इस पर काम करने का भी काम किया जो आज फलाफल है महोदय । समाज के अंतिम आदमी के प्रति प्रतिबद्धता, पिछड़ा अतिपिछड़ा कल्याण विभाग का गठन करके उनके विकास कार्यों को उत्थान देने

के लिए लगे हुए हैं महोदय, दलित महादलित मिशन का गठन किया गया है। महोदय, दलित और महादलित जो इस राज्य में है, उनके भी विकास कार्यों की विस्तृत से चर्चा है और उनको लाभान्वित कराया जा रहा है महोदय। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महोदय, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पीएमसीएच 5000 बेड का अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल के रूप में उसे बनाने का निर्णय लिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में उसका बजटीय प्रबंध भी किया गया है और हम सब यहां उपस्थित जितने माननीय सदस्य हैं हम बिहारवासियों की जो आम अवाम है, निजी अस्पतालों से ज्यादा सरकारी अस्पतालों आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच इन सभी पर लोगों की विश्वास निष्ठा और आस्था बढ़ी है। हम सब गवाह हैं कि हमलोगों के क्षेत्र से आम अवाम जितने भी आते हैं, वह किसी निजी अस्पताल के लिए नहीं बोलते हैं या तो पीएमसीएच में दिखवाना है या आईजीआईएमएस में दिखवाना है, इसी की बात करते हैं और हमलोग रोज इसमें लगे रहते हैं। महोदय, मैं आभार प्रकट करती हूँ वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री महोदय का जिन्होंने अपने आवास पर एक अलग सेल का गठन कर के हमलोगों को नम्बर उपलब्ध कराया है जिससे अपने क्षेत्र के आम आवाम जो अस्वस्थ होकर आते हैं यहां दिखाने के लिए उन्हें सुविधा कराने में हमलोगों को सुविधा उपलब्ध होती है। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी बातें हैं आज सर्वशिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, उसकी संख्या 1 प्रतिशत से भी कम रह गयी है, यह सदन में बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। महोदय, कृषि के क्षेत्र में 2012 धान की उत्पादन बढ़ोत्तरी में, 2013 में गेहूं में और 2017 में मक्का का उत्कृष्ट उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से बिहार को नवाजा गया है, यह अत्यंत ही खुशी का विषय है और इस बार बिजली के क्षेत्र में किसानों के लिए किसानों को खेत तक, 2018 तक उन्हें खेत तक पटवन के लिए बिजली मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है इसके लिए मैं ऊर्जा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो परिसंकल्पना है कि राज्य के साथ-साथ हमारे बिहार ही नहीं पूरे देश के नागरिकों के भोजन में परोसे जाने वाले थाल में बिहार का एक व्यंजन परोसा जाय, यह परिसंकल्पना निश्चित रूप से पूर्ण होगी क्योंकि दूसरे कृषि रोड मैप जब बिहार में फलाफल हुआ तो तीन अनाजों को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया। अगला तीसरा कृषि रोड मैप, मैं आभार प्रकट करती हूँ सदन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का जिन्होंने पटना में आकर तीसरा रोड मैप के उद्घाटन करने का काम किये थे महोदय। महोदय, महिला सशक्तिकरण पर अनेको कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं अनेकोनेक कार्यक्रम चल रहे हैं महोदय, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बापू के सपनों को धरातल पर बिहार के सरजमीन पर

उतारने का काम किया । बापू ने कहा था महोदय कि जब कोई महिला के घर में कोई मेहमान आते हैं तो वह खाना बनाती है तो पहले मेहमान को खिलाती है, घर में बच्चे को खिलाती है, बुजुर्गों को खिलाती है चूंकि वह महिला अच्छा व्यंजन पकाती है इसलिए आस-पड़ोस के लोगों को भी स्वाद चखने के लिए अपने पड़ोसी को भी खिलाती है । महोदय, बापू ने कहा था कि अगर वह चूल्हे चौके के मालकिन, वह महिला चाहे तो वह खुद का बनाया हुआ खाना वह पहले खुद भरपेट खा सकती थी लेकिन वह ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसमें त्याग की भावना है, कर्तव्यनिष्ठा है, धर्मपरायणता है, स्नेह है त्याग है, ममता है तो क्यों नहीं इन सारी शक्तियों को इस घर के चाहरदिवारी से बाहर निकाल कर राज्य और देश को सशक्त करने में लगाया जाय तो इससे हमारा राज्य के साथ साथ देश भी सशक्त होगा। महोदय, मैं पूर्ण आभार प्रकट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जिन्होंने महिलाओं को बापू के विचार को, लोहिया के विचार को महिला सशक्तिकरण के रूप में बिहार में धरातल पर उतारने का काम किया । मैं आभार प्रकट करती हूँ महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी । बहुत विषय था लेकिन समयाभाव है, ये पहले राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इन तीनों चीजों को ख्याल करते हुए बिहार में समाज सुधारवाहिनी का गठन किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और दहेज प्रजा, नशामुक्ति, बालविवाह और कन्याभ्रूण हत्या जैसे कार्यों पर पूर्णरूपेण रोक लगाने के लिए कमिटी का गठन किया गया है, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ और मुझे बताते हुए सदन को कि बिहार में महोदय प्रति हजार बच्चों जो जन्म लेते हैं उसमें बेटा के मरने का संख्या 35 है जबकि बेटा को मरने का 51 है प्रति हजार, जबकि राष्ट्रीय अनुपात के अनुसार महोदय 37 बेटा मरते हैं और 41 बेटियां मरती है । हमारे देश में असम में सबसे ज्यादा इसकी संख्या है वहां 48 बेटा मरते हैं वहीं मरने की संख्या बेटा का जो है वह 57 है, तो हमलोग राष्ट्रीय अनुपात से थोड़ा पीछे हैं इसलिए हमको संकल्पित होकर काम करना है । महोदय, इन 17 लक्ष्यों में 5 वां लक्ष्य है लैंगिंग समानता का, महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर बिहार को पूरे देश में मॉडल राज्य स्थापित करने का काम किया है।(क्रमशः)

टर्न-14/मधुप/03.04.2018

...क्रमशः

डॉ० रंजु गीता : तो हम सब मिलकर दृढ़-संकल्पित हों.....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

डॉ० रंजु गीता : विकास के 17 लक्ष्यों को हम अपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक चिंतन करके, कोई राजनीतिक द्वेष नहीं, सारे मतभेद दूर करते हुये हम सब एकत्रित होकर दृढ़-संकल्पित हों ताकि विकास कार्यों को पूरा कर सकें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार सिंह । 5 मिनट है आपका समय ।

श्री अशोक कुमार सिंह(203) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का काम किया, यह अति महत्वपूर्ण विषय है । साथ ही साथ, मेरा आग्रह है कि अगर अगले सत्र में या कभी समय मिले तो सतत विकास पर एक लम्बी चर्चा होनी चाहिये सदन में और मेरा यह भी सुझाव है कि सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिलना चाहिये अपना विचार रखने का और सबका सुनने का ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो महात्मा गाँधी जी की सोच थी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प था, उनलोगों के नहीं रहने के बाद लोहिया जी ने जिसे सप्त क्रांति के रूप में चलाया था, आगे चलकर जय प्रकाश जी ने सम्पूर्ण क्रांति किया था और कहा था कि मेरी सम्पूर्ण क्रांति लोहिया जी की सप्त क्रांति का ही हिस्सा है । मैं बेहिचक कह सकता हूँ महोदय, आज सप्त क्रांति, सम्पूर्ण क्रांति सात निश्चय के रूप में उभर कर बिहार की गलियों में, बिहार के गाँवों में जमीन पर उतर रहा है और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को इसका लाभ सीधे मिल रहा है ।

महोदय, 2016 में विश्व के 193 देशों ने जो चिन्ता किया, हमें बड़ी खुशी है यह कहते हुये कि आज उनकी सारी चिन्ताओं से पहले बिहार ने काम करना शुरू कर दिया है । चाहे वह गरीबी मिटाने का सवाल हो, किसी भी तरह की गरीबी हो, चाहे भूख समाप्त करने की बात हो, भारत सरकार और बिहार सरकार ने गरीबी मिटाने के लिये अनेकानेक योजनाएँ चलाई हैं, जिसका लाभ आज सीधे हमारे गरीब भाईयों को मिल रहा है । आज मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि बिहार में कोई भूख से कहीं नहीं मर सकता, आज हमारी इतनी पैदावार बढ़ी है । हमारा कृषि रोड मैप बना है, हम रेकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं और हमारी भारत की सरकार ने संकल्प किया है कि अगले खरीफ मौसम से किसान का जो समर्थन मूल्य की आमदनी है उसे हम डेढ़-गुणा बढ़ाकर किसान को लाभ देने का काम करेंगे ।

महोदय, जहाँ तक बिजली का सवाल है, मैं किसी की शिकवा-शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, आज जिस चर्चा पर हमलोग हैं, यह चर्चा बिहार से जुड़ा हुआ चर्चा है, दल-पार्टी से उपर उठकर पक्ष-विपक्ष से उपर उठकर यह मुद्दा है । आज बिजली के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है बिहार में, अद्भुत क्रांति हुई है चूँकि बिजली एक ऐसी चीज है

जिसमें अगर सतत लगातार प्रयास किया जाय तभी सफलता हासिल हो सकती है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, साथ ही साथ, ऊर्जा मंत्री को कि बिजली के क्षेत्र में जिस तरह की सफलता हमने हासिल की है, हिन्दुस्तान की कोई राज्य सरकार इस तरह की सफलता आज तक हासिल नहीं की है जो सफलता बिहार ने हासिल किया है ।

महोदय, हर घर नल का जल - हर घर नल का जल कोई मामूली बात नहीं है.....
(व्यवधान)

आ रहा हूँ सड़क पर भी, सड़क पर बताऊंगा, घबराइयेगा नहीं, सड़क पर भी कहना चाहता हूँ, चूँकि शिकवा-शिकायत नहीं करना चाहता हूँ लेकिन दो दिन पहले की घटना मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव कैमूर जिला आये थे, संयोग से मुझे पता चला कि कर्मनाशा सर्किट हाउस में हैं, मैं उधर ही था, कर्मनाशा सर्किट हाउस में मुलाकात हुई, लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि बिहार की सड़क ऐसी होगी, उत्तर प्रदेश से बिहार की सड़क अच्छी है । चाहे पथ निर्माण विभाग चाहे ग्रामीण कार्य विभाग, जो सच्चाई है, वह सड़क हमारी नहीं है, न सड़क सत्ता पक्ष की है, न विपक्ष की है और न सरकार की है, वह सड़क बिहार की सड़क है.....

अध्यक्ष : अशोक जी, आप इधर देख कर बोलिये और अब अपनी बात समाप्त भी करिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह(203) : सड़क बिहार की सड़क है, आपकी भी सड़क है, हमारी भी सड़क है। सड़क अगर बिहार की बेहतर होगी तो आपकी भी प्रशंसा होगी, हमारी भी प्रशंसा होगी, सड़क तो बिहार की है । महोदय, समयाभाव है, 5 मिनट में मैं क्या कह पाऊंगा, क्या नहीं कह पाऊंगा लेकिन इतना कह रहा हूँ कि सात निश्चय के माध्यम से सरकार जो काम कर रही है, चाहे वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना हो, चाहे कुशल युवा कार्यक्रम हो, चाहे बिहार स्टार्ट-अप नीति हो, चाहे हर घर बिजली लगातार हो, चाहे हर घर नल का जल हो, सारी योजनाएँ आज जमीन पर उतर रही हैं, चाहे शौचालय का निर्माण हो, अवसर बढ़ें आगे बढ़ें । जितने भी काम हो रहे हैं, जमीन पर हो रहे हैं ।

महोदय, एक सुझाव देना चाहूँगा कि सात निश्चय के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे बिहार के गाँवों में जो वार्ड के सदस्य के माध्यम से जिन्हें संचालित करना है, पहली बार उनको अवसर मिला है, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं वार्ड सदस्य । इसलिये एक महीना में एक बार, कोई तिथि निर्धारित किया जाय, उस तिथि पर जिला में सभी माननीय सदस्यों के साथ और जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हो और सात निश्चय की समीक्षा हो । अगर हम पहल करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, सतत विकास के लिये संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से सात निश्चय हमारा जमीन पर उतरेगा और जब

सात निश्चय हमारा जमीन पर उतरेगा तो हमारे साथी कह रहे थे कि विकास केवल शहर का ही नहीं, विकास गाँव का भी होना चाहिये तो जिस दिन हम सात निश्चय को उतार देंगे जमीन पर, हम बेहिचक कह सकते हैं कि शहर और गाँव में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा । बिजली रहेगी, पक्की नाली रहेगी, पक्की गली रहेगी, शौचालय रहेगा । समयभाव है महोदय, इसलिये आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट विधान सभा में लाये हैं जो शायद यह पहली बार मौका है । समय के बंधन में निश्चित रूप से आप हमलोगों को बांधकर रखना चाहते हैं ताकि हम सारी बातों को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकें । इसके लिये तो अलग से अगर डिबेट कराते तो ज्यादा अच्छा होता । फिर भी, आपकी मेहनत के लिये, आपकी सोच के लिये, आपके इस दिमाग की सोच के लिये मैं आपको दाद देता हूँ । दूसरा दाद इसलिये देता हूँ कि आप बिहार को शायद यू0एन0ओ0 बनाना चाहते हैं । हुजूर, बिहार को यू0एन0ओ0 बनाना कैसे संभव होगा जबकि अपने देश के राज्यों की तुलना में भी हम कई राज्यों से पीछे और गिरे हुये हैं । यह ठीक बात है कि आपका ग्रोथ रेट 14 परसेंट से आगे बढ़ रहा है। चलिये सरजमीं पर जाँच करने के लिये । खेत की क्या हालत है ? दो-दो बार आपने कृषि रोड मैप बना दिया । ठीक बात है, बहुत धन्यवाद । लेकिन कृषि रोड मैप का असर क्या हो रहा है ? चल कर देख लीजिये किसानों को जिसके फटेहाल हैं, जिनके धान घर में सड़ रहे हैं, जिनके लिये मार्केट नहीं है, जिनके लिये दाम नहीं हैं, जिनके लिये कोई किस्मत भी साथ नहीं दे रहा है । हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेहनत जरूर किया है लेकिन मेहनत का फल क्या निकलता है कि आप यू0एन0ओ0 बनाना चाहते हैं तो मैं आपको धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले हम हैं हुजूर, दो लाईन सुन लीजियेगा, समय जरा बचा दीजियेगा -

बंदे हैं हम उसके हमपर किसका जोर,
समाज की सेवा करने निकले चारों ओर,
इरादे हैं फौलादी हिम्मत हर कदम,
अपने हाथों सेवा करने चली है कांग्रेस वाले हम ।

इसलिये आपका धन्यवाद करते हैं ।

....क्रमशः....

टर्न-15/आजाद/03.04.2018

..... क्रमशः

श्री रामदेव राय : और आपको हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं और सरकार को हिम्मत देना चाहते हैं चूँकि आपने कहा सकारात्मक और नकारात्मक । इसी विधान सभा में आप इधर और उधर

बैठाईयेगा तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयेगा ही । लेकिन आप ही से न्याय चाहेंगे हुजूर और यह कहते हुए न्याय चाहेंगे कि इसको पढ़कर आपको सुना देते हैं, अगर आप इजाजत दीजिए तो :-

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्दकिशोर बाबू आप भी सुन लीजिए।

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती,
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर भागती है,
चढ़ती है दीवारों पर सौ बार फिसलती है,
मन का विश्वास रंगों में सांस भरती है,
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है ।

महोदय, आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी, मैं आपको शुभकामना देता हूँ । यह तब संभव है, जब महागठबंधन की सरकार होती । यह तब संभव होती, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री यह वादा किये थे कि हम महागठबंधन के पूरे कार्यकाल को पूरा करेंगे । महागठबंधन के समय को आप देखिए, कितनी तरक्की हुई । माननीय मुख्यमंत्री जी सात निश्चय लाये, आज सात निश्चय पर उनको अडिग हो जाने के लिए कहिए । आज लूट हो रहा है, पूरा लूट, लूट का छूट, नन्दकिशोर बाबू का कुछ चलने वाला नहीं है, उनके क्षेत्र में भी कुछ चलने वाला नहीं है । सात निश्चय अगर हमारा मुख्यमंत्री जी, हम भोज खाये हैं अध्यक्षजी का, उनका संस्कार मेरे साथ है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ । सात निश्चय अगर ये पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से समानता होगी, समरसता होगी और बिना आर्थिक आजादी का, हुजूर, हमारी आजादी बेकार है । आर्थिक आजादी कैसे संभव हो सकती है, आज भी गांव के गरीब गुलाम हैं, भूखे मर रहे हैं, मनरेगा की हालत आप देख लीजिए, आज चौपट पड़ा हुआ है । उसको आप खेती से जोड़ नहीं रहे हैं, किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है, इनकी खेती मारी जा रही है । आज किसान रो रहे हैं, हमलोग यहां मौज उड़ा रहे हैं । फटेहाल जो गरीब गोबर उठाने वाले हैं, उनका हाल कौन जानेगा ।

जा के पैर न फटे बिवाई,
वह क्या जाने पीर पराई ।

अब मैं चलता हूँ लक्ष्य पर सर । मैं यहां शुरू करता हूँ । देश को केन्द्र बिन्दु बनाना चाहिए था और यह देखते कि बिहार राज्य की क्या स्थिति है ? आप जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में गरीब की क्या हालत है, इसका आंकड़ा ले लीजिए और तब अपने देश में इसको बढ़ाईए और तब बिहार में लाईए । बिहार में कैसे गरीबी

आप दूर कर सकते हैं, संभव है क्या ? नौजवानों को रोजगार देने के लिए क्या आप रोजगार-मुखी शिक्षा देने की व्यवस्था की ? आप विद्यार्थियों को पैसा दे रहे हैं, उस पैसा का क्या लाभ हो रहा है, इसकी जाँच आपने की ? पढ़ाई-लिखाई की क्या गुणवत्ता है, आप इसकी जाँच किये, नहीं जाँच किये ? आप जाँच के लिए कौन सा काम करते हैं कि लालू जी जेल में कैसे सड़ेंगे, आप इसकी जाँच करते हैं । आप कैसे समरसता पैदा कीजियेगा, कैसे देश से असमानता दूर होगी ? एक आदमी जेल में अस्वस्थ होकर मर रहा है बीमारियों से और आपके मुख्यमंत्री एक बार झांकने के लिए भी नहीं जाते हैं । कैसे असमानता दूर होगी इस देश का, इस राज्य का । हम आप दोनों भाई हैं, कोई विरोध में तो कोई सत्ता में हैं, कभी आपके पास दिक्कत होगी तो कभी मेरे पास दिक्कत होगी और आप उनको जेल में बंद करके रखे हैं । एक ख्याति प्राप्त राज्य के नेता को और आपने क्या किया, ट्रेन से भेजवा दिये, अगर 14 घंटे में वे मर जाते तो क्या होता ? हवाईजहाज से भेजने में आपको क्या दिक्कत थी ?

हुजूर, आपने लिखा है, इसलिए मैं जरूर बोलूंगा, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा । स्वस्थ जीवन 75 वर्ष के आयु के व्यक्ति को स्वास्थ्य सुरक्षा का कैसे आप बढ़ावा देंगे, जेल में बन्द करके क्या ? आप न्याय कीजिए, आप आसन पर बैठे हुए हैं और दूसरी ओर हुजूर, आप लिखे हैं, देख लीजिए आप । देश के भीतर भी असमानता को दूर करने के लिए कैसे दूर कीजियेगा ?

अध्यक्ष : आपका दो मिनट बच गया है ।

श्री रामदेव राय : कविता सुनाये हैं, वह कहां चला गया सर ।

अध्यक्ष : अब दो मिनट बच गया है ।

श्री रामदेव राय : जी नहीं सर, एक-दो मिनट और समय दे दीजियेगा, हम पूरा कर लेंगे । मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप समानता लाना चाहते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, आप मेरे लिए तो उपाय कर दिये हैं कि हम बड़े-बड़े अस्पतालों में चले जायेंगे, बड़े-बड़े लोगों के लिए आप बड़ा-बड़ा अस्पताल दिल्ली में बनवा दिये हैं लेकिन वह गरीब जो गांव में दलसिंहसराय में ज्वर से, खाँसी से, टी0बी0 से, डायरिया से उसके लिए क्या है ? हमने साधारण बात कहा था कि आप अपने विधायक को ऐच्छिक कोष में कुछ पैसा दे दीजिए ताकि वह गांव में उन गरीबों को मदद कर दे ताकि वह नहीं मर सकें क्योंकि गांव में चार-चार दिनों तक लाश ऐसे ही पड़ी रहती है, दुर्गन्ध आने लगता है, कोई उसको देखने वाला नहीं रहता है । इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, मगर मुख्यमंत्री जी हँसते रहे और चलते बने । मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जहां टमाटर खेत में फेंका जा रहा हो, स्थायी खपत आप कैसे चाहेंगे, आप बता दीजिए हुजूर । औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आप कौन सा काम किये हैं, अगर बरौनी को माईस कर दीजिए तो बिहार शून्य है और यह कांग्रेस की देन है कि बरौनी

को इतना ऊँचा स्थान दिया, वही बिहार का आज सम्मान और मान है और आपने आज तक फर्टिलाइजर नहीं दिया, बार-बार घोषणा किये, बरौनी का फर्टिलाइजर आज तक बन्द है । आपने बिहार में क्या दिया - कुटीर उद्योग, हमारे बिहार के गरीब बेटे को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे नौजवानों को काम मिलेगा । जब तक सभी के हाथो को काम नहीं देंगे, दाम नहीं बढ़ेगा तो कैसे वे लोग जीयेगा, यह मैं बताना चाहता हूँ । जीयेगा तब जब आप उनके लिए भी आप वहां रोजगार देंगे । रोजगार कैसे देंगे, आज किसानों का पलायन हो रहा है और वह चले जा रहे हैं पशुपालन की ओर बढ़ रहे हैं । पशुओं के चारा का आज दाम क्या है, आप देख लीजिये । पशुओं के ईलाज के लिए आज अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, यह आप देख लीजिए । बिहार में दूध की नदियां बहती है देख लीजिए । फिर भी आपका सम्मान जो बढ़ा रहा है, वह आज मारा जा रहा है । इसलिए मैं चाहता हूँ , आप सबके लिए सोचते हैं कि हम अच्छा काम करें, सबको अच्छा अवसर दें, बढ़ावा दें । अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि आप सबके लिए सब कुछ करते हैं और ऊपर में जो मीडिया वाले हैं, उसके लिए आप कभी कुछ सोचे हैं, कभी नहीं सोचे हैं । मीडिया वाले के लिए आप थोड़ा भी सोचते तो आज हमलोगों की यह दशा नहीं होती । मीडिया वाले को आप प्रोत्साहित कीजिए, उनको भी वेतन दीजिए, भत्ता दीजिए ताकि गांव में जाकर सच्चाई के साथ सरकार को मदद कर सकें । चाहे सरकार लालू प्रसाद यादव की हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हो और चाहे आगे आने वाला हमारा मुख्यमंत्री हो, उसके लिए हो ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कर दीजिए ।

श्री रामदेव राय : अब एक मिनट सर, आपको धन्यवाद देकर समाप्त कर दूंगा । जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नदियां सुख रही है, आप बार-बार नदियों के गहराई बनाकर के जल रखते, हरा-भरा वृक्ष लगाते, जंगल लगाते, वृक्ष नहीं काटने देते, कांग्रेस का जो कार्यक्रम था, उसको करते तो आज यह दशा आपकी नहीं होती । हरित क्रांति को बढ़ावा देते, कांग्रेस का जो कार्यक्रम था, उसको करते । आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको केवल कांग्रेस को गिराना है और महागठबंधन को तोड़ना है, कैसे सड़ाना है, कैसे किसको जेल में बंद करना है, कैसे किसको तंग करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है । इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हम सारे लोग आपके साथ में हैं, बिहार के सतत् विकास के लिए, निरंतर विकास के लिए जो हमारे अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रखा है, अगर आप एकाध मिनट और समय देते तो मैं कुछ कहता । लेकिन आप देंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह का सबजेक्ट, इसी तरह का डिवेट बिहार में कराईए और बिल्कुल नन्-पॉलिटिकल होकर के तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर के बिहार के विकास के लिए जवाबदेह हैं । पद छोटा हो या बड़ा, जवाबदेही महान होती है और जो अपनी जवाबदेही का निर्वहन ईमानदारी से करता है,

वही इस देश का सच्चा सपूत है और हम सच्चा सपूत हैं और देश के निरंतर विकास के लिए सरकार को भी सहयोग देंगे और विपक्षी एकता को भी कायम रखेंगे और महागठबंधन को आगे बढ़ाकर बिहार के सत्ता पर बैठाएंगे, बैठाएंगे ।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सतत् विकास का जो ग्लोबल सबजेक्ट है और जिस विषय से हर एक व्यक्ति का तालुकात है, हर देश का तालुकात है, हर वर्ग का तालुकात है, ऐसे विषय को बहस के लिए, चर्चा के लिए सदन में लाया गया है और इसपर गुणात्मक ढंग से चर्चा हो सकती है तभी इसका फलाफल आने वाले दिनों में देश, समाज और दुनिया को मिल सकेगा । हमें गर्व है कि सतत् विकास एक ऐसा विषय है, जो बहुत दिनों से द्वन्द के उलझन में उलझा हुआ है । एक तरफ विकास की परिभाषा विभिन्न शब्दों में, विभिन्न वाक्यों में दी जाती है तो दूसरी तरफ जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें बहुत सारे डू एंड डू नॉट, क्या करें और क्या नहीं करें, इन शब्दों के साथ नियंत्रित करना चाहती है । बहुत दिनों की बात नहीं, इसमें कई बिन्दुयें हैं, हम सभी बिन्दुओं को नहीं, कुछ विषयों पर मैं अपनी बातों को रखना चाहूँगा ।

..... क्रमशः

टर्न-16/अंजनी/दि0 03.0402018

श्री आलोक कुमार मेहता : ...क्रमशः ... इसमें सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन और प्रभाव से निपटने के क्षेत्र में जो कार्य किये जा रहे हैं देश और दुनिया में, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत तालमेल नहीं है । हमलोगों को याद करना चाहिए चिपको आन्दोलन, जो कि सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला और 45 वर्षों तक लगातार सतत् प्रयास के बाद भी विकास और प्रकृति के इस द्वंद को समाधान तक नहीं पहुंचा सका । आखिर टिहरी डैम बन गया, आस-पास के हजारों-हजार गांव बाढ़ की चपेट, भूकम्प का डर और प्रलय जैसी स्थिति की आशंकाओं से आज भी जूझ रहा है लेकिन वह विकास जिसे किसी सरकार ने भी परिभाषित किया, उसको जमीन पर जबर्दस्ती उतारने का काम किया। चाहे किसी की भी सरकार हो, मानवता से जुड़े हुए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वैश्विक बहस में यहां से लेकर यूनेस्को तक जिसमें इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए बहुत दिमाग खर्च किया होगा दुनिया के लोगों ने, इसको बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है । मैं बगल के झारखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, जहां पर जमीन के अन्दर खनन् संसाधन हमारे उपलब्ध हैं, कहा जाता है कि कई ऐसे संसाधन हैं, कोयला है, अभरख है, यूरेनियम है, 30 वर्षों से ज्यादा वहां खनन् नहीं हो सकता है । 30 वर्षों में एक उजाड़ राज्य बनने की दिशा में वह बढ़ रहा है और सरकार

दूसरी तरफ उसे एक्सप्लाइड करने के लिए रेवेन्यू की दृष्टिकोण से उसका खनन् लगातार करती जा रही है । कोई भी सरकार हो, सरकार को इन चीजों के प्रति दूरगामी परिणामों के प्रति (व्यवधान), दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति जबतक सरकारें और संस्थायें चिंतित नहीं होगी, तबतक इसके अच्छे परिणाम पाने की संभावनायें, बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावनायें कम दिखती है । आज उत्पादन व्यवस्था के बारे में हम सोंचे, बिहार में उद्योगों की बहुत कमी है और बिहार में जो उद्योग लगाये जा रहे हैं, उसके अनुरूप संसाधनों को हम सजा नहीं पा रहे हैं । कृषि राज्य है, कृषि प्रधान राज्य नहीं है । (व्यवधान) महोदय, आज उत्पादन व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो पा रही है । अभी-अभी रामदेव बाबू ने कहा कि टमाटर का उत्पादन होता है, सड़कों पर फेंकने की नौबत आती है । आलू का मूल्य आज से 20 वर्ष-25 वर्ष पहले जितना था, वह आज भी उतना ही है । जबकि चप्पल से लेकर वर्तमान कॉस्मेटिक चीजों का मूल्य 25 गुणा, 30 गुणा बढ़ चुका है । इसको कौन नियंत्रित करेगा ? उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रकृति से निकाले गये खेती के माध्यम से, प्रकृति से निकाले गये ऐसे उत्पाद रॉ मैटेरियल को कैसे आप औद्योगिक व्यवस्था में व्यवस्थित करेंगे ताकि पर्यावरण से लेकर आर्थिक व्यवस्था दुरूस्त हो सके । हम जानना चाहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ है, वह भी प्रकृति की देन है, उसका भी कभी-न-कभी अंत होना है और हम लगातार उसकी खपत को बढ़ाये जा रहे हैं। वैकल्पिक क्षेत्र में किसी भी तरह के रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट की कार्रवाई उतनी मजबूती के साथ नहीं की जा सकती है, जो वैकल्पिक व्यवस्था को ऊर्जा प्रदान कर सके । आज रिनिउएबल इनर्जी डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है, जिसपर दुनिया के स्तर पर उसके आर0 एण्ड डी0 को मजबूत करने की जरूरत है कि आनेवाले दिनों में यदि बिजली उत्पादन के संसाधनों की कमी होगी और उसकी उपलब्धता पर जब प्रश्नचिंह लगेगा तो फिर मानवता पर जो काले बादल मंडरा रहे हैं, उसका क्या होगा ? इसलिए महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरे इन्टरेस्ट का सबजेक्ट है । महोदय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि समय की कमी भी हो तो सदन की सहमति से समय को बढ़ाने का पहल किया जाय । महोदय, री- साईक्लिंग, उत्पादन में यह व्यवस्था बनी हुई है कि जो रॉ मैटेरियल है, वह उसका मूल्य संवर्धन होता है । मार्केट में जाता है और एक तरफ डेफिसिट होने लगता है और दूसरी तरफ कचड़ा का ढेर खड़ा होने लगता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें री-साईक्लिंग होता रहे ताकि संतुलन बना रहे । ऐसी व्यवस्था पर जोर देने की जरूरत है । आज कचड़ा प्रबंधन के संबंध में कई वर्षों से चली आ रही बातें कि री-साईक्लिंग प्रोजेक्ट उसमें लगाये जायेंगे । सरकार 90-90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है लेकिन पता नहीं हमें यह समझ में नहीं आता है कि सरकार इतनी शिथिल क्यों पड़ी हुई है । पटना के आस-पास कचड़ा का भंडार जहां-तहां, उसका कोई आईडेंटिफिकेशन भी होता कि नहीं, पड़ा हुआ रहता है लेकिन री-साईक्लिंग प्रोजेक्ट जो

है, उसपर कोई विचार नहीं हो पाता है। इन चीजों के प्रति गंभीरता जबतक नहीं होगी, तबतक पर्यावरण संतुलन और जलवायु जो प्रभावित हो रही है, महोदय, मैं दो मिनट में दो बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सतत् विकास, इनक्लुसिव डेवलपमेंट जो गरीबी की परिभाषा हर तरह की गरीबी, सामाजिक गरीबी, मानसिक गरीबी और आर्थिक गरीबी, मुझे गर्व है कि माननीय लालू प्रसाद जी ने 1990 के बाद जब उनको सत्ता में आने का मौका मिला तो उन्होंने सामाजिक गरीबी और मानसिक गरीबी जो लोगों की थी, उनको उससे उबारने का काम किया। यह बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था और इसका प्रभाव पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में पड़ा। महोदय, आर्थिक गरीबी की जहां तक बात है तो एक मौका है, जो पूरी दुनिया में आर्थिक विकास की बात हो रही है, जो बिहार तक भी उसका प्रभाव पड़ना है। (व्यवधान) अभी रामदेव बाबू ने एक बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि न्यायिक व्यवस्था जो है (व्यवधान) महोदय, यह सतत् विकास के बिन्दुओं में, लक्ष्यों में एक यह भी है कि जो संस्थान है...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री आलोक कुमार मेहता : एक मिनट सर। जो संस्थान है, जो सिस्टम है और जो सरकार है, उसमें न्याय को भी सुनिश्चित किया जाय। चाहे वह ज्यूडिसियरी हो, चाहे वह गवर्नमेंट हो या कोई भी बडी हो और उसमें यदि जब तक न्याय नहीं मिलेगा जो कि लालू प्रसाद जी को नहीं मिल पा रहा है, उनपर जान-बूझकर झूठे मुकदमे करके राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक दबाव में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। महोदय, सतत् विकास के रास्ते में उस तरह के केसेज भी बहुत बड़ी बाधक है। इसलिए उसपर भी, जो रामदेव बाबू ने उस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। महोदय, गरीबी के इन तमाम् इन्डिकेट्स, जो एक प्रतिशत व्यक्तियों के पास, भारत की स्थिति है, 73 प्रतिशत धन संग्रह हो गया है और 99 प्रतिशत लोगों के पास 27 प्रतिशत धन मात्र बचा है, यह जो आर्थिक अन्याय है, उस अन्याय का क्या उपाय किये जा सकते हैं, यह आनेवाले दिनों में मानवता और जो एक बैलेंस है, उसको बहुत प्रभावित करने वाला है। सहकारिता उसका एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। यदि ईमानदारी से, और सहकारिता समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक व्यवस्था है, उसमें सरकार के वेलफेयर जो स्टेट है भारत, उसको कल्याणकारी राज्य कहा गया है। कल्याणकारी भावनाओं से सरकार भाग रही है, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो। कल्याणकारी भावनायें निहित है सहकारिता में, जिसमें सरकार को यह देखना है, इसमें इनक्लुसिवनेस है, उसमें हर व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता है, उसमें हर व्यक्ति से काम भी लेने का रास्ता है

...क्रमशः...

टर्न-17/शंभु/03.04.18

श्री आलोक कुमार मेहता : कमशः.....हर व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाने का रास्ता है, गरीबी को खत्म करने का रास्ता है । ये तमाम गुणों के बावजूद डा0 लोहिया कहा करते थे सहकारिता के बारे में कि सहकारिता सोसियोलिस्टिक पैटर्न ऑफ इन्डस्ट्रलाइजेशन है । हम यदि उसको पूरी तरह धरती पर उतारने का काम करें तो ये गरीबी वाला बिन्दु जो है- आधा से ज्यादा तो लालू प्रसाद जी उसका रिडेकेशन कर चुके हैं । लेकिन आर्थिक गरीबी जो है उसका भी निदान इसके माध्यम से हो सकेगा । महोदय, इसलिए ये सस्ती और टिकाऊ इनर्जी डेवलपमेंट के लिए यदि यह सरकार, व्यवस्था, संस्थाएं दुनिया के लोग यदि चाहते हैं तो रिनुएवल एनर्जी के तरफ उनको ध्यान देना होगा । जितने फन्ड ट्रेडिशनल एनर्जी के तरफ खर्च किये जाते हैं उससे एक दहाई पैसा भी यदि रिनुएवल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के तरफ आर0एंड डी0 में खर्च किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और बिहार में भी उसका प्रभाव होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सदन में विकास की चर्चा हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, जाते हैं, सुनना चाहिए ।

अध्यक्ष : वे जहां भी रहते होंगे सुनते रहते होंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप बैठिए न । माननीय सदस्यगण, सरकार को उत्तर के लिए और अधिक समय चाहिए इसलिए हमको समय का कुछ पुनर्सामंजन करना पड़ेगा । इसलिए अब श्याम रजक जी आप 5-7 मिनट में ।

श्री श्याम रजक : सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद के साथ-साथ एक बड़ा गंभीर विषय है । यह विषय कोई पक्ष और विपक्ष का नहीं बल्कि बिहार की 12 करोड़ जनता के विकास के लिए कार्ययोजना और उनके विकास के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कार्यक्रम बनाने के और उसपर हम कितना आगे जा सकते हैं इन विषयों पर हमलोगों को चर्चा करना है । अध्यक्ष महोदय, कई हमारे वक्ताओं ने चर्चा किया है हम उन बातों को नहीं दुहराना चाहते हैं, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब देश की आजादी का नेतृत्व कर रहे थे तो उनके सामने आजादी के साथ-साथ कुछ मूलभूत रचनात्मक कार्यक्रम भी थे । उन्होंने चरखा को केन्द्र बनाकर के आजादी दिलाने का काम किया था और चरखा इसलिए कि वह आर्थिक आजादी के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अछूतोद्धार का दलितों के लिए किस तरह उसको समावेश किया जाय लोगों के बीच इसके लिए कार्यक्रम बनाने का काम किया था । उन्होंने शिक्षा के साथ जोड़कर के जो लोगों को शिक्षा से विमुक्त किया गया था । पुराने काल में शिक्षा से जो दलितों को उपेक्षित, पीड़ित मानव को दूर करने का काम किया गया था उसको भी समाहित करने कर कार्यक्रम बनाने का काम किया था और तब जाकर के देश को

आजादी मिली थी । देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली थी । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कई कार्यक्रम थे । इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, 2005 में जब इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बने तो सिर्फ विकास और सिर्फ काम और राज्य की उन्नति का ही नहीं था बल्कि जो गांधी ने कहा था, अम्बेदकर ने कहा था कि समाज के जो सबसे पीछे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको केन्द्र बिन्दु बनाकर के विकास की रूपरेखा तय करो तभी जाकर विकास का सही काम होने का काम करेगा । यह बात कहने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ कि 2005 में जब उन्होंने इस बात को करने का काम किया तब जाकर के सड़कें, बिजली कई योजनाएं बनाने का काम किया । लेकिन उससे माननीय मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि मानव विकास के हुए बिना इस राष्ट्र का, इस राज्य का विकास संभव नहीं था । उन्होंने सात निश्चय कार्यक्रम बनाने का काम किया । क्या था राष्ट्रीय पथ बन गये, राजकीय पथ बन गये, लेकिन जो सबसे गरीब गुरूबा है, जो टोलों में रहनेवाला गरीब जो झोपड़ी में रहनेवाला जिनके घर से निकलकर कादो, कीचड़ से निकलकर उस एस0एच0 रोड पर, एन0एच0 रोड पर जाने का काम करता है तो उसको कितनी ग्लानि होती है, किस तरह से मन उसका कुंठित होता है । उसके मन की कुंठा को खतम करने के लिए हर घर तक गली और नली बनाने के काम का कार्यक्रम बनाने का काम किया । इस कार्यक्रम को देने का काम किया । यह सतत विकास का ही एक अंग है । अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ कहना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रोटी- विकास के पहले रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उन्होंने पेयजल के लिए हर घर को नल से जल क्या है स्थिति- इसी पटना के जो 108 स्लम इलाके हैं । इस पटना के 108 स्लम इलाके में किस तरह लोग दुर्दिन की जिंदगी बसर कर रहे हैं, चाहे वह लोहानीपुर स्लम हो, चाहे वह रूकुनपुरा का स्लम हो, चाहे वह दरगाह के पास स्लम हो-108 स्लम है । जो बच्चे पैदा हो रहे हैं विकलांग पैदा हो रहे हैं । क्या उसके लिए विकास हमारे लिए मायने नहीं रखता है क्या ? विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं । जो पानी है वह गर्म करने के बाद भी उसमें विषैला पानी रहता है । उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घर को नल से जल की योजना बनाने का काम किया तो कौन सा अपराध करने का काम किया ? यह घोषणा नहीं हमलोगों ने काम करने का काम किया है । आज तक सिर्फ घोषणाएं होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए योजना बनाने के साथ-साथ उसके लिए राशि और उसके लिए मोनेटरिंग करने का काम किया । उसका समन्वय करने का काम किया हर जगह, हर जिले, हर प्रखंड में जाकर उसको देखने का काम किया । यह काम उन्होंने करने का काम किया । उसी तरह से जो खेतों में रहनेवाला व्यक्ति, जो खेतों में किसान कृषि रोड मैप बनाने का काम किया । क्या है स्थिति, क्या था पहले ? आज धान में गेहूं में, मक्का में हम आत्मनिर्भर होने काम किये, हम किसानों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो रोड मैप रहा उसके अनुसार उसके कार्यान्वयन के लिए वहां पर

मक्का का खेती में सर्वोत्तम हमने पैदा करने का काम किया । अध्यक्ष महोदय, कृषि रोड मैप के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं- अत्याधुनिक काम हुए हैं । क्या था पहले ? हमारे सामने वाले लोग हम कोई क्विटसाइज नहीं करना चाहते हैं लेकिन क्या था ? उस समय 40 हजार स्कूल था, आज 76 हजार स्कूल हुआ है । 40 हजार से 76 हजार हुआ है । पहले 1.5 लाख ही शिक्षक थे, आज 6.5 लाख शिक्षक हुए हैं । यह परिवर्तन नहीं हुआ है क्या ? चूंकि उस व्यक्ति तक हमको विकास पहुंचाना है । आज स्कूलों की क्या हालत है, स्कूलों के भवन बने हैं, स्कूलों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें बेंच और टेबुल की भी अगर व्यवस्था हो तो सही अर्थों में विकास होने का काम हुआ है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आज हास्पिटल है, आज हास्पिटल की स्थिति सुधरी है। हास्पिटल में 112 दवाई सरकार ने यहां पर देने का काम किया है, लोगों के लिए व्यवस्था करने का काम किया है, लेकिन हम तो कहते हैं कि अभी और काम करना है। जलवायु की बात, वृक्षारोपण की बात 9.7 प्रतिशत ही बिहार में वृक्षारोपण थे जो वन क्षेत्र थे, लेकिन 2005 के बाद आज यहां 15 प्रतिशत वनरोपण हुआ है । हमारी पार्टी जनता दल यू ने कहा कि जो हमारा सदस्य होगा उसको वृक्षारोपण करना होगा, वही हमारा सदस्य होगा । इस तरह से क्रांतिकारी काम करने का काम किया है । लैंगिक अंतर के लिए भी माननीय नेता ने बाल विवाह पर रोक लगाने का काम किया, दहेज विरोध का काम करने का काम किया । नशा के विरोध में करने का काम किया । ये सारे काम क्या हैं ? ये सतत विकास के ही एक अंग हैं । अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं दलितों के लिए पहले क्या था बजट ?

अध्यक्ष : अब समाप्त कर दीजिए ।

श्री श्याम रजक : एक सेकेण्ड सर । क्या था बजट 2004-05 में - 2005 में 88.66 करोड़ ही बजट था और आज 2017 में ये दलितों के लिए 1889.1 करोड़ रूपया ये दलितों के लिए और दलितों की योजनाओं के लिए राशि ही देने का काम नहीं किया, बल्कि महादलितों के लिए, दलितों के लिए शिक्षा से जो महरूम था जिसके लिए बाबा साहब अम्बेदकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकता के सूत्र में बंधने का काम करो ।

क्रमशः

टर्न-18/अशोक/03.04.2018

श्री श्याम रजक : क्रमशः यह बात कहने का नहीं है, शिक्षा से ज्योत जलाने के लिए टोला सेवक, विकास मित्र का गठन करके दलितों में शिक्षा का ज्योत जलाने का काम किया, इसलिये हम चाहते हैं कि सब लोग, एक बात कहकर हम अंतिम करना चाहते हैं।

अध्यक्ष : अब समाप्त कर दीजिये ।

श्री श्याम रजक : एक मिनट महोदय । आर्थिक स्वालम्बन के लिए बिहार में 174 राईस मिल बने, 74 फ्लावर मिल्स बने, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट बने, 16 ,फुड और वेजिटेबुल प्रोसेसिंग यूनिट बने, 9 मिल्लक प्रोसेसिंग यूनिट बने, 4 मखाना यूनिट, 12 बिस्कूट

उत्पादन केन्द्र, 10 खाद्य तेल, 7 आईस क्रीम यूनिट, 28 खाद्य संस्करण इसके अलावा 53 रूरल एग्री बिजनेस सेन्टर, पांच ड्राई वेयरहाउस बने, ये सारे विकास के ही आयाम है लेकिन अभी भी हमे आगे चलना है, चलते चलना है और चलकर उस मंजिल तक पहुंचना है जब तक कि एक-एक घरों तक विकास की गाड़ी हम नहीं पहुंचा पायें। यही हम सब के लिये संघर्ष की बात होगी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नेमतुल्लाह जी, दो मिनट में।

(व्यवधान)

श्री मो० नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी।

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, एक मिनट, ललित जी, ललित जी। महोदय चर्चा के शुरूआत आपने बड़ी अच्छी की महोदय और मेरी अपेक्षा थी कि टोका-टोकी कम से कम आज के सत्र में नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि सारे माननीय सदस्य विद्वान हैं, हर की बात को काटने की क्षमता उनके पास है लेकिन आज के इस गंभीर चर्चा को उसी रूप में चलने दे तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, हम सूचना पर खड़े हैं। हम सचूना पर हैं। महोदय आज बिहार के विकास की चर्चा हो रही है, आपका डी.सी. बिल 15 हजार करोड़ का अता-पता नहीं है।.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद जी, इनको बोलने दीजिये न। आपके बगल में माननीय सदस्य खड़े हैं। ऐसे कीजियेगा तो कैसे होगा। माननीय सदस्य श्री नेमतुल्लाह जी, दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री मो० नेमतुल्लाह : दो मिनट में कैसे होगा।

अध्यक्ष : दो ही मिनट आपका एलौटेड टाईम है।

श्री नेमतुल्लाह : छोड़ दीजिये।

अध्यक्ष : पार्टी ने ही आपको दो मिनट का समय दिया है।

श्री नेमतुल्लाह : दो मिनट नहीं, पांच मिनट दिया है।

श्री ललित कुमार यादव : 12 मिनट।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप 2 बजकर 48 मिनट से 3 बजकर तीन मिनट तक बोले हैं, 15 मिनट बोले हैं। यहां समय नोट रहता है। चलिये।

श्री मो० नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और पहले ही आपने कहा है कि हर माननीय सदस्य का इन्टरेस्ट का यह विषय है, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों। सभी यहां चुनकर आते हैं, अपने अपने एरिया, अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए महोदय। लेकिन आपके निर्देश के बाद भी यहां आरोप-प्रत्यारोप होने लगा। महोदय, एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में या इस देश में अगर विकास चाहिये तो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुये लोगों को अगर राहत चाहिये तो उसके लिये शान्ति व्यवस्था कायम करना बहुत जरूरी है। अगर शांति नहीं रहेगी, महौल सद्भाव का नहीं बना रहेगा तो विकास करना बेईमानी है। महोदय, जहां किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है, चाहे दलित उत्पीड़न होता है, चाहे अल्पसंख्यक के साथ कुछ होता है तो वह एरिया पचास साल तक विकास से वंचित हो जाता है, वहां के लोग त्राहिमाम होते हैं, आज वहां मुहैया करवाना चाहिये। आज जिस तरह से महौल खराब किया गया है, उस महौला को सुधारने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ेगा। विपक्ष को साथ लेना पड़ेगा। आज स्वास्थ्य के बारे में माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू ने जो बोला, सही बात बोले। एक बलात्कारी को आप हेलीकोप्टर से भेजते हैं कोर्ट से और आदरणीय लालू प्रसाद जी को जो राष्ट्रीय और इन्टरनेशनल लेवल के नेता हैं उनको आप सफर कराते हैं राजधानी एक्सप्रेस में जब कि वे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भेज दीजिये, हम अपने खर्च पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप राजधानी से भेज रहे हैं, इसमें कोई दुर्घटना हो जाती, कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो जाती तो फिर क्या स्थिति होती इस बिहार का और इस देश का। स्वास्थ्य जो है वह जैनरल आदमी का सवाल है, स्वास्थ्य पर विचार कर रहे हैं महोदय लेकिन आप इस तरह का ख्याल नहीं रखते। आपका जो सात निश्चय है, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, महागठबन्धन का, मुख्यमंत्री जी उसको आप कैरीओवर कर लिया, आप एन.डी.ए. में चले गये, उसको भी आप चला रहे हैं। लेकिन जबतक आप महागठबन्धन में थे, कितना सुचारू रूप से चल रहा था आप वहां गये, आप ईद की चांद की तरह जाते हैं, उद्घाटन करते हैं जल नल का आने के बाद से न नल में पानी और न जल मिलना, बस यह दिखावा है आपका। आपको चाहिये विकास, विकास आप चाहते हैं तो जो गरीब जनता है, जो निचले सीढ़ी पर बैठे हुये लोग हैं वहां तक राहत पहुंचे। महोदय, इन्डस्ट्रीयल रिवोल्यूशन के बाद से यह मानसिकता हो गई है कि जो वेस्टर्नाइज्ड होंगे, अंग्रेजी में अपने बच्चों को पढ़ाकर और जो दिस दैट बोलेंगे तो बड़ा विकास हो गया, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया लेकिन जो बच्चे अपनी मादरी भाषा में पढ़ते हैं, अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं उसकी कद्र नहीं होती, उसकी इज्जत नहीं होती इसलिये

महोदय वहां भी आना पड़ेगा, वहां भी आना पड़ेगा, जहां उसको मादरी जुबान में, अपने मातृभाषा में एडुकेशन दिया जाय । आज टिचर्स की व्यवस्था, आप देखिये कि हमारा एकेडमिक कितना पीछे है, चार-चार साल पीछे हैं, लड़के पलायन कर रहे हैं, लड़के बाहर जा रहे हैं । बाहर जाकर पढ़ते हैं । आपने क्या घोषणा की थी। आप किस लिये एन.डी.ए. में गये थे, विकास की नीयत से.....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री मो० नेमतुल्लाह : विकास के नीयत से जायेंगे, पैसा भर कर लायेंगे, लेकिन आपको स्पेशल स्टेट्स नहीं मिला, आपको पैकेज नहीं मिला- क्या विकास होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद । एक मिनट । उनको बोलने दीजिये, आपके पीछे हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार, अपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह धरती हजारों, करोड़ों वर्षों के मेहनत की परिणाम है, मेहनत करने वाले लोगों ने इस धरती को सृजा है लेकिन जिस ढंग से यहां सरकारें अपने कौरपोरेटपरशत नीतियों के जरिये धरती पर तबाही का सामान पैदा कर रही है, इससे लगता है कि इस देश और विदेशों के कौरपोरेट घराने ब्रह्माण्ड में कोई सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं, उनको धरती से मतलब नहीं है। जिन लोगों का प्रकृति पर अधिकार था, जो लोग अपने मेहनत से इस धरती को इतना खूबसूरत बनाये हैं, उनको प्राकृतिक संसाधनों से अलग किया जा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों पर बड़े लोग का कब्जा हो रहा है, उन्हें हर अधिकार से वंचित किया जा रहा है । यहां लोकतंत्र खतरे में है, असहमति के विचारों को विचार से नहीं खत्म किया जा रहा है बल्कि मर्डर कर दिया जा रहा है । कुलबुर्गी, गौरी लंकेश, डभोलकर, पंसारे सब को मार दिया गया इसलिये कि उनका विचार उनको पसंद नहीं था । यह धरती रहेगी तब ही कोई भाजपा की राजनीत करेगा, कोई आरजेडी का और कोई माले का लेकिन हर पर्व-त्यौहार में नफरत का सबब बन गया है । कोई पर्व त्यौहार आये, लगता है कि दहशत का महौल पैदा हो गया । कैसे यह धरती बचेगी । जो हमारा सतत विकास का लक्ष्य है, यह दूर होता जा रहा है, पूरी दुनिया से दूर होती जा रही है महोदय । इसलिये हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि जिन लोगों ने इस धरती को सृजा है अपनी मेहनत से उस पर अधिकार दिलाइये, उनको रोटी, कपड़ा और मकान दीजिये, यह धरती उनकी बनाई हुई है, उनको इस धरती से अलग नहीं किया जाय । धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर । माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक अलग प्रकार का विषय विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों के

समक्ष रखा है विमर्श के लिए और विषय सभी से जुड़ा है। महोदय, आपने जब अपनी बात शुरू की थी तो उसमें आपने कहा था कि इस विषय पर सभी माननीय सदस्य सकारात्मक रूप से अपनी बात रखें, पूरी चर्चा के दौरान आठ माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं आलोक जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ सकारात्मक बातें भी कही हैं और भी कुछ माननीय सदस्यों ने सकारात्मक बातें कही हैं। लेकिन मुझे थोड़ा दुःख है महोदय कि इस विषय की दिशा बदल दी गई लेकिन मैं इसकी दिशा बहुत बदलना नहीं चाहता हूँ।

श्री ललित कुमार यादव : सतत विकास के लक्ष्य पर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देते तो बहुत अच्छा होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप माननीय नंद किशोर बाबू, अपना विषय पर ही।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, थोड़ा घबड़ाते हैं वो।

श्री भाई वीरेन्द्र : हम घबड़ाते हैं जुमला से।

टर्न-19/03-04-2018/ज्योति

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, पूरा विषय

अध्यक्ष: भाई वीरेन्द्र जी, आप इतनी बार उठते हैं कि आपका समय जोड़कर आपके पार्टी में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, माननीय मंत्री जी।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, वैसे मुझे अवसर दीजियेगा तो मैं इनको पूरी तरह संतुष्ट कर सकता हूँ, इतनी क्षमता हमारे अंदर है। मैं कह रहा था कि चर्चा हो रही है गरीबी की, चर्चा हो रही है भूख की, चर्चा हो रही है पर्यावरण रक्षा की और यह सब चर्चा है या यह जो गोल एचीव करना है, कोई एक सरकार नहीं कर सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमलोग देश के अंदर रहते हैं। हर पाँच साल पर सरकारें बदलती रहती हैं। कुछ सरकारें लगातार चलती हैं लेकिन पाँच साल के लिए कोई एक सरकार जीत जाय और उस गोल को प्राप्त कर ले महोदय, संभव नहीं है और आप जानते हैं देश की आजादी के 70 साल से अधिक हो गए और इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जब हम आजाद हुए, तो मेरे साथ कई देश और भी आजाद हुए और मेरे बाद भी कई देश आजाद हुए, उसमें से कई देश ऐसे हैं, जो मेरे साथ आजाद हुए, जो मेरे बाद आजाद हुए, आज तरक्की के मामले में दुनिया में बहुत ऊंचे स्थान पर चले गए, हम नहीं जा पाये, हम पिछड़ गये, यह क्यों पिछड़ गए, क्या कारण थे? हमें इसकी गहराई में भी जानना पड़ेगा। मैंने यहाँ कहा कि यहाँ जो माननीय सदस्य बैठे हैं, एक माले के माननीय सदस्य को छोड़ दीजिये, सभी को कोई न कोई सरकार चलाने का अवसर मिला है। दिल्ली की सरकार हो या बिहार की

सरकार हो सबको सरकार में भागीदार रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने कहा कि जो विकास के लक्ष्य हैं, ये जो सतत् विकास है, यह जो गरीबी उन्मूलन की बात है भूख समाप्त करने की बात है, कोई एक सरकार के बूते के बाहर हो सकती है लेकिन अगर हम विचार करें 70 सालों के इतिहास का, तो हमें थोड़ी निराशा होती है, मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। आज देश के अंदर 21 प्रतिशत आबादी ऐसी है, जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है, देश की आजादी के 71 साल बाद भी 21 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और अभी 2015 में विश्व में लगभग 872.3 मिलियन लोग गरीब थे और उसमें से 179.6 मिलियन लोग सिर्फ भारत में रहते हैं अर्थात् विश्व की गरीबी का 17.....

श्री महबूब आलम: महोदय, किसानों की भलाई का कोई प्रोग्राम नहीं है।

अध्यक्ष: ठीक है।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, विश्व की गरीबी का साढ़े 17 प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं। ये जो आंकड़ा है, यह कोई एक दिन, कोई गरीब नहीं होता है, एक दिन में कोई सक्षम नहीं होता है, ये जो संख्या है, यह संख्या इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए आम आदमी को, सामान्य आदमी को गरीब आदमी को वो सुविधाएं जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया थी, कहीं न कहीं कोई कमी रह गयी, जो अपेक्षाएं थीं सरकारों से, सभी सरकारें गरीबी की बात करती है, सब गरीबी उन्मूलन की बात करती है, सब भूखमरी समाप्त करने की बात करती हैं और सारे प्रयासों के बावजूद 70 साल के बाद भी इस देश के अंदर 21 परसेंट गरीब हैं, ये कहने में कोई संकोच नहीं कि सभी पार्टियों को इस बात पर विचार करनी चाहिए, हमारी नीतियों में क्या दोष है, हम कहाँ चूक गए, हम कहाँ रह गए और जब तक खुले हृदय से इस बात का विचार नहीं करेंगे, केवल अपने दल की सीमा में बंध रहकर विचार करेंगे और अपने दल के नेता के उपलब्धियों का केवल बखान करेंगे, समाधान नहीं हो सकता है, हमें संतुष्टि हो सकती है, हमारी पार्टी के नेता हमारी पीठ थपथपा सकते हैं लेकिन हम जिस विषय पर आज चर्चा करना चाहते हैं, जिस समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श करना चाहते हैं, वह कोई सार्थक परिणाम नहीं देगा और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें पहले इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम कैसी स्थिति में हैं? बार बार चर्चा होती है कई प्रकार की, मैं सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन होता क्या है, कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर कब बनता है, यह संभव नहीं है, आज जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ है पूरी दुनिया का, कोई एक राष्ट्र सब कुछ अपने उत्पादन कर लें, सब कुछ उसके देश के अंदर पैदा हो जाय, सब कुछ आ जाय, संभव नहीं है

लेकिन देश नीतियाँ बनाता है, वह नीतियाँ क्या है ? जो उसके यहाँ उपलब्ध चीज हैं, कौन उपलब्धों का उत्पादन करें, उसका निर्यात करे और जो आवश्यकता है, उसका आयात करें लेकिन महोदय, इस देश के अंदर आप देखेंगे, धीरे धीरे आयात निर्यात का प्रतिशत घटता जा रहा है, तो कुल मिलाकर अब आप जो विचार करेंगे, अब गांधी जी की चर्चा आपने की महोदय, माननीय सदस्यों ने भी की है, गांधी जी के मूल विचार क्या थे और केवल गांधी क्यों, ठीक ही कहा हमारे श्याम रजक जी ने, गांधी जी के विचार देखिये, अम्बेदकर जी के विचार देखिये, डा० लोहिया के विचार देखिये, दीन दयाल जी के विचार देखिये, सबने यह बात कही है, जितने विचारक इस देश के अंदर हैं, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब का नाम लेना संभव नहीं है, सब ने एक बात कही है कि अगर देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है, तो जो देश के अंदर सबसे जो निर्धनतम व्यक्ति है, उसको सामने रख करके देश के विकास की योजना बननी चाहिए लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है, जो निर्धनतम व्यक्ति है उसके स्वरूप में परिवर्तन दिखायी नहीं पड़ता है, कहीं चूक हो गयी, कहीं कमी हो गयी सरकार की नीतियों के कारण, क्रियान्वयन के कमी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, कोई और कारण से, तो मूल विषय यह है महोदय, लेकिन एक बात और है, जो सरकारें बनती है सरकारें महोदय, नीतियाँ बनाती हैं और उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो तंत्र है, वह तंत्र काम करता है, तंत्र में भ्रष्टाचार हो सकता है, तंत्र में क्रियान्वयन में कमी हो सकती है और यह सदन इस बात का गवाह है कि जब जब सरकारों के निर्णय के तहत, अगर कोई काम क्रियान्वित होता है, उस क्रियान्वयन में कोई कमी होती है, तो माननीय सदस्यों का अधिकार है कि उस क्रियान्वयन की कमी को उजागर करें और सरकार की विफलता मान ले, लेकिन कमी उजागर करने का अधिकार सबको है लेकिन उससे बड़ा महत्व का विषय यह है कि अगर सरकार उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पहल करती है, नीतियाँ बनाती हैं और वह नीतियाँ अगर गरीबोन्मुखी है, नीतियाँ गरीबी उन्मूलन के लिए कारगर हो सकती हैं, प्रभावी हो सकती है, वह नीतियाँ अगर भूख को समाप्त करने के लिए हैं, तो उसकी उपयोगिता है, तो महोदय, यह भी आवश्यक है कि सभी दल के लोग मिल करके उन नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग भी करें लेकिन महोदय, इसका अभाव दिखता है । मैंने कहा कि इस गंभीर चर्चा में मुझे थोड़ा सा इसका अभाव दिखा है । मैंने कहा छोड़िये, मैं उनकी चर्चा ज्यादा करना नहीं चाहता लेकिन गांधी जी ने कहा था कि अगर इन समस्याओं का समाधान चाहते हो, अगर चाहते हो कि यहाँ से गरीबी उन्मूलन हो जाय, भूख नहीं रहे तो ऊपर से केवल नीतियाँ बनाने से काम नहीं चलेगा, विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था ही इस देश को आज आगे ले जा सकता है । आप जानते हैं कि हम

जब आजाद हुए, तो हमारे ऊपर कई प्रकार के दबाव कोई कहता था अमेरिका के रास्ते पर चलो, कोई कहता था रुस के रास्ते पर चलो महोदय, अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियाँ रहती हैं, किसी देश के अंदर लोग कम हैं, तो उन्होंने अधिक उत्पादन का लक्ष्य तय किया, इंडस्ट्रीयलाईजेशन की ओर उनका काम बढ़ा लेकिन हमारे पास लोग ज्यादा हैं, हमारे पास लोग अधिक हैं, तो इसलिए गांधी जी ने कहा था, बिकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था को लागू करो । गांव को आधार बनाओ । गांव के आधार पर योजना बनायें और इस देश में अब वह बनते नहीं । यह जो भारत है और इस भारत का पूरा इतिहास है, इसको गौर से देखें, तो यह जो पूरा तंत्र हमारा है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है महोदय, उसमें सब के लिए रोजगार था, सब के लिए भोजन की व्यवस्था थी । महोदय, विचार करिये न आप, हमारे यहाँ इस भारत के अंदर जितने हमारे कर्मकाण्ड हैं, व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो छट्ठी होता है, सतईसा होता है, व्यक्ति जब बड़ा होता है, तो शादी होती है और व्यक्ति जब मरता है, तो दाह संस्कार होता है, इस पूरी व्यवस्था में आप गौर करिये, तो आपको दिखायी पड़ेगा कि अगर शादी हो रही है किसी की, तो नाई की आवश्यकता है, बढ़ई की आवश्यकता है, घड़ा के लिए कुम्हार की आवश्यकता है, हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता है और व्यक्ति मर गया, तो जो हमारे निर्धनतम व्यक्ति डोम जाति के हमारे भाई हैं उनकी आवश्यकता है, बिना उसके काम पूरा नहीं होता, तो समाज के अंदर जितने तबके के लोग हैं, उन सब तबकों के पेट भरने की व्यवस्था इस भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में शामिल था, तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि गांव के अंदर से अगर विकास की योजनाएं बनेगी, गांव के छद्म विकास के मानक तय होंगे, तो हम उस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन महोदय, हम नहीं कर पाये, हम औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ गए, हम उस लक्ष्य से भटक गए और परिणाम है कि साहब, इतने साल के बाद भी आज स्थिति पैदा हुई है, मुझे प्रसन्नता इस बात का है कि कई बार कई चीजें क्रान्ति हुई महोदय, यह भी एक संयोग है कि जो भारत की प्रगति की कहानी है, तो भारत के पश्चिम भाग में ज्यादा हो गया महोदय, कृषि की चर्चा कई हमारे सदस्यों ने की है, कृषि विकास की कहानी भारत की जब लिखी जाने लगी, तो संयोग से दिल्ली से सटा हुआ जो राज्य है, चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो या पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, वहीं हरित क्रान्ति हो गयी लेकिन देश का जो पूर्वी भाग है, जिसमें बिहार शामिल है, इन प्रदेशों के अंदर केवल बिहार ही नहीं, मैं भारत के पूर्वी भाग की चर्चा कर रहा हूँ, यह पूरा पूर्वी भाग विकास के मामले में पीछे हो गया और हम कई प्रकार की चीजों के शिकार होते जा रहे हैं, तो यह जो परिस्थितियां पैदा हुई है, तो हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि एक तो महोदय, ठीक ही कहा माननीय सदस्यों ने कि

केवल राज्य के अंदर हम विकास की बात करके इस गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस पूरे गोल प्राप्त करने के लिए जहाँ भारत सरकार को प्रयास करना पड़ेगा वहीं राज्य सरकार को अपनी सीमाओं में प्रयास करना पड़ेगा ।

क्रमशः

टर्न-20/3.4.2018/बिपिन

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : क्रमशः...और आप गौर करिए महोदय तो अभी एक परिवर्तन की हवा है । यह जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं सत्र में Transforming our world the 2030 agenda for sustainable development, यह जो प्रस्ताव पारित हुआ है महोदय, इस प्रस्ताव के प्रति देश के अंदर एक चर्चा हो रही है । नीति आयोग ने उसकी चर्चा की । कई सेमिनार हो रहे हैं । राज्यों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है, यानि गोल को प्राप्त करने के लिए देश के अंदर हवा बन रहा है और जैसा हमने कहा महोदय, हम जिस संघीय ढाँचा में जीते हैं, सभी राज्यों में एक पार्टी की सरकार नहीं महोदय, अलग-अलग पार्टी की सरकारें हैं और यह जो गोल है, कोई एक पार्टी का गोल नहीं हो सकता है महोदय । यह तो समस्त पॉलिटिकल पार्टियों का गोल हो सकता है और एक अच्छी बात यह है कि दो राज्यों को छोड़ दीजिए तो देश के सभी राज्यों ने इस गोल के साथ अपने को जोड़ने का काम किया है । केवल देश के दो राज्य ने इसके साथ जोड़ा नहीं है अपने को । इस सस्टेनेबुल डेवलपमेंट के लिए महोदय, सबको अपना-अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा । स्वाभाविक है, भारत सरकार अपना काम कर रही है, मैं उसकी चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहता, मेरे पास समय की भी सीमा है, मैं केवल संकेत में उसकी बात की चर्चा करूंगा लेकिन महोदय, यह जो राज्य सरकार है, जिस सरकार में आज हम यहां सत्तारूढ़ दल के सदस्य के नाते बोल रहे हैं, इस सरकार को हुए महोदय, तेरह साल हो गए । तेरह साल में कुछ दिन वे लोग भी सत्ता में आकर बैठे यहां, हम भी यहां सत्ता में कई सालों तक रहे, यह सरकार जो बनी महोदय, तो इस सरकार ने इस गोल को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य तय किया और प्रारंभ से किया । माननीय सदस्य कह रहे थे, शिक्षा की बात बार-बार आती है । कई सदस्य इसके बारे में चिंता भी करते हैं । स्वाभाविक है । चिंता होनी भी चाहिए । लेकिन क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं कि हम जब सरकार में पहली बार आए तो इस राज्य के अंदर बच्चे और बच्चियों का ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा था ? क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं जो गरीब घर के बच्चे-बच्चियां थी, उनको स्कूल ड्रेस देकर हमने स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित किया उनको ? क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं कि हमारी बेटियां हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाय, इसके लिए हमलोगों ने साईकिल की व्यवस्था की ? इसके बड़े अच्छे परिणाम आए । स्कूलों में संख्या बढ़ी बच्चियों की । आप इंकार कर सकते हैं ? तो यह एक प्रयास है महोदय और इस प्रयास की सराहना

होनी चाहिए । इसमें कुछ चूक है, कुछ कमी है, उस कमी को दूर करने का सुझाव आने चाहिए । तब तो हम इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं । महोदय, कई चीजें ऐसी हैं, मैं जिसकी चर्चा करना चाहता हूं । महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप गौर करिए, अब जब हम विकास की बात करते हैं तो महोदय, विकास से मेरा उद्देश्य कभी भी केवल बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाना नहीं है । मैं सस्टेनेबुल डेवलपमेंट की बात करता हूं महोदय । इसका उद्देश्य केवल चौड़ी सड़कें बनाना नहीं है, बड़े-बड़े पुल बनाना नहीं है । वह भी एक कारक हो सकता है महोदय डेवलपमेंट का लेकिन मेरा सस्टेनेबुल डेवलपमेंट का अर्थ केवल एक ही है महोदय कि आम आदमी का विकास कैसे हो और जो मैंने कहा आपसे, महोदय, सामान्य चीज है । हर आदमी के पेट में दो जून अनाज जाना चाहिए महोदय, हर व्यक्ति के बदन पर पूरे कपड़े होने चाहिए, सिर के ऊपर पक्का छत होना चाहिए महोदय । यह कैसी विडम्बना है? एक आदमी ऊँचे अट्टालिका में रहता है और एक आदमी बाजापते गंदगी के अंदर जीवन जीने के लिए मजबूर होता है महोदय, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता है महोदय । यह सस्टेनेबुल डेवलपमेंट का मायने नहीं हो सकता है महोदय और यही कारण कि जब इस प्रकार की चर्चा हुई देश के अंदर, महोदय, कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए महोदय, सतत् प्रक्रिया चली । आपको ध्यान में होगा महोदय । गांव के अंदर सड़कों का घोर अभाव था । अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी महोदय । गांव को सड़कों से जोड़ने की योजना बनी । एक हजार की आबादी, पांच सौ की आबादी, लेकिन जब पांच सौ की आबादी तक भारत सरकार की योजना रूक गई महोदय, लेकिन जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने महोदय । उन्होंने कहा, नहीं और जोड़ना पड़ेगा, और नीचे जाना पड़ेगा । ढाई सौ की आबादी को गांव से जोड़ा और ढाई सौ से बढ़कर महोदय, टोले को जोड़ा और टोले से भी आगे बढ़कर, अब हर गांव के गलियों, नालियों को बनाने का काम इस सात निश्चय के पार्ट में हमने शामिल किया । महोदय, यह डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है?

(व्यवधान)

महोदय, मैं जानता हूं कि इनको शायद अच्छा नहीं लगता होगा लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, यह सात निश्चय मेरे और नीतीश जी के बीच का प्रोग्राम नहीं था, यह आपके और नीतीश जी के बीच का प्रोग्राम था लेकिन वह प्रोग्राम अच्छा था, इसलिए हम यह बात कह रहे हैं । लेकिन आपको तो इससे मतलब है नहीं, चूंकि विकास आपके एजेंडा में कभी रहा नहीं । पंद्रह साल तो विकास किया नहीं और आज टोका-टोकी कर रहे हैं ? अरे ! बात सुनिये । मैं गंभीरता से अपनी बात कह रहा हूं लेकिन जिनको विकास से मतलब नहीं है, वो इसी प्रकार के व्यवहार करने के आदी हो जाते हैं महोदय । मुझे इन पर तरस आता है, गुस्सा नहीं आता है महोदय ।

महोदय, मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है ? कुछ नहीं हो रहा है ? मैं इनको बताना चाहता हूँ । अभी यहां बेबी कुमारी बैठी हैं, विधायक हैं महोदय। मैं इनके विधान सभा क्षेत्र में गया था मुजफ्फरपुर में । मुशहरी प्रखंड में बैकठपुर एक पंचायत है महोदय । मैं वहां गया था इसी 29 तारीख को और महोदय, मैंने देखा, वहां के मुखिया ने, मुखिया पहले आपके प्रखंड के अध्यक्ष थे, आर. जे.डी. के, आजकल भा.ज.पा. में हैं । उन्होंने किया क्या महोदय ? उस मुखिया ने अपने पंचायत, बैकठपुर पंचायत में 56 लाख रूपए की लागत से 52 योजनाओं का एक साथ उद्घाटन मेरे हाथ से कराया महोदय । सारी गलियां, गांव के नाले बनाए महोदय । यह परिणाम आ रहे हैं लेकिन भाजपा में आने के बाद हुआ है । लेकिन महोदय, अगर मैंने कहा महोदय...

(व्यवधान)

महोदय, मैंने कहा, बंद कर दें ? बंद कर दें ? बड़ा बोलते हैं । सुनिये जरा ।

(व्यवधान)

यह तो बताएंगे उधर के लोग, यह आपकी पार्टी के लोग बताएंगे कि कैसे बढ़ता है पर-कैपिटल इनकम ।

महोदय, मैं कह रहा था, ये लोग वही लोग हैं महोदय, इस चर्चा को लोग मोड़ना चाहते हैं लेकिन मैं एक केवल कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा महोदय, यह जो सतत् विकास की प्रक्रिया है महोदय, एक साल, दो साल, पांच साल में नहीं हो सकता है और आपको देखना पड़ेगा कि जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का लक्ष्य क्या है ? मैंने पहले कहा, क्रियान्वयन में कमी आ सकती है, दोष हो सकता है लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सोच क्या है, महोदय, अगर इसपर विचार करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो योजना बनाई है बिहार की सरकार ने, उन योजनाओं के क्रियान्वयन से, बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं महोदय । महोदय, यह विचार करिए आप । आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको पीने का पानी शुद्ध उपलब्ध नहीं है महोदय । हम तो लगा लेते हैं प्यूरिफायर, हम शुद्ध पानी, कहते हैं कि आर.ओ. है कि नहीं, आर.ओ. का पानी है कि नहीं है, बोतल का पानी पीते हैं महोदय, लेकिन इस देश के, इस प्रदेश के अंदर महोदय, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बजबजाते गंदगी में हुए चापाकल का गंदा पानी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित करने वाला पानी पीने के लिए मजबूर हो रहा है महोदय, इस देश के अंदर । क्या यह जरूरी नहीं था ? क्या यह आवश्यक नहीं था कि उन सभी लोगों को शुद्ध पानी पिलाया जाए ? क्या महोदय, यह जरूरी नहीं था कि शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए और महोदय, जब इस बात की योजना प्रारंभ की जाती है, हर व्यक्ति के घर में नल जाए महोदय, और नल क्यों जाए ? नल इसलिए जाए ताकि उसको शुद्ध पानी मिल

सके और यह योजना चल रही है लेकिन ये एक साल में परिणाम चाहते हैं ? हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है तो यह चुनावी नारा नहीं है हमारा, यह हमारी घोषणा नहीं है, यह हमारा संकल्प है उन गरीबों के प्रति । जो न्याय के साथ विकास करने का संकल्प हमारा है, सबका साथ सबका विकास का जो निर्णय हमारा है, उस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए इन योजनाओं को हमने जमीन पर उतारने का निर्णय लिया है और हम उतारेंगे महोदय । हम उतारेंगे इसको । हम लोगों को शुद्ध पानी देंगे महोदय । लेकिन महोदय, हम जरूर कहना चाहते हैं आपसे ...

(व्यवधान)

धन्यवाद । महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, यह जो भूख की समाप्ति खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि, महोदय, कितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । महोदय, सब कार्यक्रम की चर्चा करेंगे तो एकाध घंटा भी कम पड़ेगा हमको बोलने के लिए महोदय, इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूँ महोदय । महोदय, आप जानते हैं, महोदय...

(व्यवधान)

महोदय, अभी तक तो मैंने कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया है, अभी तक मैंने कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया । आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी नहीं चला है महोदय । सत्तर साल की चर्चा की महोदय, तब भी मैंने किसी पार्टी की सरकार का जिक्र नहीं किया महोदय । लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आखिर चाहते क्या हैं? गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग परेशान क्यों हैं ? जब गरीबों के कल्याण की योजनाएं जमीन पर उतर रही है तो गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग क्यों चिंतित हैं, क्यों परेशान है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है महोदय ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है महोदय ।

(व्यवधान)

सुनो भाई । तो महोदय, बार-बार चर्चा किया लोगों ने । 89 परसेंट लोग गांव में रहते हैं बिहार के अंदर और आप जानते हैं, जनसंख्या का 76 परसेंट अपनी आजीविका के लिये कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर आश्रित हैं । महोदय, मैं स्वीकार करता हूँ । आप जानते हैं, हमने दो-दो रोड मैप बनाया - 2008 में पहला रोड मैप बनाया है, महोदय, 2012 में दूसरा कृषि रोड मैप बनाया और महोदय, कृषि रोड मैप के लागू होने से फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है और इन दोनों कृषि रोड मैप की उपलब्धियों से प्रेरित होकर हमने इस बार तीसरा रोड मैप बनाया महोदय... क्रमशः

टर्न: 21/कृष्ण/03.04.2018

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री (कमशः) हमने तीसरा रोड मैप बनाया महोदय, 2017 से 2022 तक के लिये, जिसका शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति जी ने 09 नवंबर,2017 को किया था और हमने इसमें रखा है, 1,54,635.69 लाख करोड़ रूपये, हमने इस पांच वर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित किया है । महोदय, हमारा उद्देश्य क्या है ? जब हम गरीबी की बात करते हैं, जब हम भूखमरी की बात करते हैं, यह जातियों की सीमा में बंधा हुआ नहीं है । यह स्वभाविक है । समाज के अंदर जो गरीब तबका है, गरीब तबके की जब बात करते है तो स्वभाविक रूप से अनुसूचित जाति के भाई हमारे ज्यादा बड़ी संख्या में हैं । अतिपिछड़ी जाति के लोगों की संख्या हमारे समाज में बड़ी संख्या में हैं, अगड़ी जाति के गरीब भी बड़ी संख्या में हैं । हम सब गरीबों की बात करते हैं । जिसके पेट में दो जून का अनाज नहीं है, जिनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है । महोदय, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि राज्य सरकार इसके लिये काम कर रही है । भारत की सरकार लगातार उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। महोदय, लोगों ने कहा है, जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनायेंगे 2022 में, उस समय देश के प्रत्येक गरीब आदमी के सर पर पक्का छत देने का काम भारत सरकार करेगी । यह उन्होंने तय किया है । इस राज्य के अंदर हमें इसको जमीन पर उतारना है और हमने तय किया है । महोदय, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है गरीबों के लिये, हम सबसे पहले अनुसूचित जाति के भाईयों का हम छत बनाने का काम करेंगे, उनके सर के ऊपर पक्का छत बनाने का काम करेंगे ।

महोदय, जब हम कृषि की बात करते हैं, किसानों की आमदनी की बात है, उसकी लागत का डेढ़ गुना देने का निर्णय सरकार ने किया है । महोदय, देखेंगे कृषि के क्षेत्र में और बाकी के क्षेत्रों में तो हमने जो प्रगति किया है, हमने जो प्रगति की रूप-रेखा तय की है, वह इस बात का संकेत दे रहा है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं ।

महोदय, बार-बार स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं । मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, जिसकी चर्चा रामदेव बाबू कर रहे थे । लेकिन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं । इसमें कितना परिवर्तन हुआ ? कम से कम पहली बार जो विधायक बन कर आये हैं, शायद इनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा । लेकिन आप तो कई बार आये हैं और आप जानते हैं कि पहले बिहार के अंदर अस्पतालों की स्थिति क्या थी और आज बिहार के अस्पतालों की स्थिति क्या है ? मैं मानता हूं कि बिहार के अस्पतालों में बेहतरी के कारण आपकी जो अपेक्षाएं बढ़ी है, आप और बेहतर परफॉरमेंस हमसे चाहते हैं और आप बेहतर काम हमसे चाहते हैं, आपको भरोसा है कि हम काम कर सकते हैं । मैं आपके वैसे सुझाव को स्वीकार करूंगा । लेकिन आपको इस बात का अंतर बताना

चाहिए कि जो हमारी सरकार बनी उसके पहले बिहार में अस्पतालों की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है ? मुझे प्रसन्नता इस बात की है, जिस गरीब की बात कर रहे हैं आप, हमारे कई माननीय सदस्यों ने गरीबों के स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता की है । मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारत के प्रधान मंत्री ने एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की है और ऐसे 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रूपये का एक साल का बीमा भारत सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया है । महोदय, हमने जो निर्णय लिया है तो हमारे सामने समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठा हुआ वह गरीब व्यक्ति का, जिसको कोई पूछनेवाला नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, इसके बारे में मैंने चर्चा की है । जो पांचवा बिन्दु है लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तीकरण करना । महोदय, बिहार के अंदर महिला सशक्तीकरण के जो काम हुये, स्वयं सहायता समूह का गठन करके जिस प्रकार से महिलाओं के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करने के निर्णय को क्रियान्वित किया है । यह दूसरे राज्यों के लिये उदाहरण बन सकता है महोदय ।

महोदय, आप जानते हैं, पूरे निर्वाचन में चाहे नगर निकाय का निर्वाचन हो, पंचायतों का चुनाव हो, 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है । यही नहीं महोदय, हम तो सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ अबतक 801 महिलाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति की गयी है । इसके अतिरिक्त पुलिस में कुल 3,672 महिलाओं की नियुक्ति हुई है । महिला सशक्तीकरण के बारे में बिहार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसको पूरा देश स्वीकार करना चाहता है, उसका अनुसरण करना चाहता है और यह बड़ा कदम है, जो गोल तय किया है, उस गोल के तहत महिला के सवाल पर हमलोगों ने जो कदम बढ़ाये हैं, वह आपके सामने है ।

महोदय, जल और स्वच्छता की बात की जा रही है । मैंने जल की बात की लेकिन पता नहीं, स्वच्छता के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं कुछ लोग । मुझे मालूम नहीं है । इसलिए कि प्रधान मंत्री ने कहा । प्रधान मंत्री जी ने नहीं कहा । महात्मा गांधी ने कहा था, डा0 लोहिया ने कहा था । रामदेव बाबू आपको याद होगा । डा0 लोहिया जी ने पार्लियामेंट में एक बार कहा था । उस समय आपकी सरकार थी । उन्होंने कहा था आपकी सरकार को कि अगर आपकी सरकार इस देश के अंदर खुले में शौच से मुक्त कर दे तो हम कांग्रेस का विरोध करना छोड़ देंगे । यह डा0 लोहिया ने

कहा था । यह डा0 लोहिया का विचार था, गांधी का विचार था महोदय । आपने गांधी जी के विचारों का उल्लेख किया, महात्मा गांधी और डा0 लोहिया के विचार थे कि स्वच्छ होना चाहिए । खुले में शौच से मुक्ति चाहिए देश को और यह स्वच्छता अभियान धीरे-धीरे जनांदोलन का रूप ले लिया ओर उसके तहत आज बिहार के अंदर भी उस स्वच्छता अभियान को परिणाम तक पहुंचाने के लिये हमारी सरकार ने पहले से ही लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत पहले से काम कर रहे हैं । अभियान के तहत हम पहले से काम कर रहे थे महोदय । हम शौचालय बनाने का काम कर रहे थे । भारत सरकार ने अधिक राशि इस योजना में दे रखी है और मैं आग्रह करना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि यह जो शौचालय निर्माण का जो काम है, यह जो स्वच्छता अभियान का काम है, वह एक सरकार का काम नहीं है, पूरी पार्टी का काम नहीं है । यह काम तो हमारे स्वस्थ होने के लिये है । यह काम तो हमारी धरा को स्वस्थ होने के लिये है । यह काम तो हमारे गरीब बच्चों के स्वास्थ्य के लिये है और इस पूरे अभियान में मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं जो सरकार ने काम प्रारंभ किया है, आपका उसमें सहयोग चाहिए, आप अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर जो गांव ओ0डी0एफ0 से बच गये हैं, उनमें आपकी भूमिका का निर्वहन होना चाहिए तब जाकर आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

महोदय, सभी के लिये किफायती और भरोसेमंद आधुनिक उर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में मुझे आपको बताते हुये प्रसन्नता हो रही है । आप जानते हैं कि अब हम बिजली संकट से नहीं जूझ रहे हैं । हमारा बिहार जिस प्रकार से बिजली संकट से जूझा करता था आप सबको इस बात का अंदाजा है । आप सब के मुंह से बात निकलती है कि बिजली ज्यादा आती है, बिजली ठीक आती है और वह केवल इसलिए बिजली ठीक आती है कि जो डबल इंजन की बात बार-बार करते हैं, डबल इंजन की सरकार ने जहां देशव्यापी स्तर पर हर गांव में बिजली पहुंचाने का तय किया था, वही हमारी सरकार ने भी हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं । महोदय, यह उस गोल का परिणाम है और मैं कहना चाहता हूं । महोदय, खपत में अंतर आ गया । वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 124 किलोवाट था बिहार में वही 2016-17 में बढ़कर 305 किलोवाट हो गया ।

(व्यवधान)

महोदय, आप जानते हैं कि इस देश के अंदर 65 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 35 साल से कम है और जिस देश की आबादी इतना युवा हो, 65 परसेंट आबादी जिस देश का युवा हो, उस देश के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है । हमारे कई मित्रों ने ठीक ही कहा कि रोजगार के साधन जबतक

उपलब्ध नहीं होंगे तो हमारी युवा शक्ति बर्बाद हो सकती है । इस रोजगार के साधन को उपलब्ध कराने के लिये, महोदय, आप जानते हैं कि देश में सरकारी नौकरियां नहीं हैं । केवल सरकारी नौकरी के भरोसे हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते हैं लेकिन नौजवान अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार यह मानती है कि गरीबों को हजार-दो हजार रूपया दे करके हम उनकी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं । महीने दो महीने भोजन की उसकी व्यवस्था हो सकती है । लेकिन जबतक वह अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा, जबतक आर्थिक समाधान नहीं होगा तबतक विकास नहीं हो सकता है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है । हम जहां उनको स्कील देने का काम कर रहे हैं, कौशलयुक्त देने का काम कर रहे हैं, वहीं साथ-साथ उनको रोजगार के अवसर अपने आप उपलब्ध हो सके महोदय इसके लिये हमने काम किया है । महोदय, बड़े पैमाने पर ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है । ऋण के आधार पर वह अपना स्वरोजगार कर सकता है । यदि एक नौजवान अपने पैर पर खड़ा होता है तो वह 10 नौजवान को नौकरी दे सकता है । हम वैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ।

महोदय, हम कहन चाहते हैं कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हमने बजट भाषण में इसकी चर्चा की है । लेकिन जैसा मैंने कहा गांवों तक सड़कों का निर्माण, गांवा में नलियों का निर्माण यह जो हमारा लक्ष्य है, महोदय, यह बुनियादी ढांचे बड़े-बड़े सड़कों और पुलों के साथ-साथ हमने गांवों को भी लक्ष्य किया है, गलियों में रहनेवाले गरीबों को लक्ष्य किया है, हम उस गोल को प्राप्त करने के लिये लगातार आगे बढ़ रहे हैं । महोदय, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारत सरकार ने भी पूरे देश के अंदर 115 जिले ऐसे चिन्हित किये हैं जिसको उन्होंने कहा है स्पेशनल डिस्ट्रीक्ट का नाम दिया है कि पिछड़े हुये जिले हैं, इनके विकास के बारे में पहल और प्रयास होना चाहिए ।

क्रमशः

टर्न-22/सत्येन्द्र/3-4-18

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री(क्रमशः) मुझे प्रसन्नता है कि बिहार के 13 जिले यथा कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, खगड़िया, पूर्णियां, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर एवं नवादा को शामिल किया गया है । महोदय, इन जिलों के विकास के लिए हम विशेष कार्य योजना बनाने जा रहे हैं और हमने इसके लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है भारत सरकार के सहयोग से और हमें इन योजनाओं के संचालन के लिए फ्लेक्सी फंड का उपयोग लिया जायेगा । महोदय, शहरों और मानव बस्तियों को

समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संघारणीय बनाने हेतु महोदय हर क्षेत्र में जैसा मैंने कहा जो चुनौती है उसको दूर करने का हम काम कर रहे हैं और महोदय, आने वाले समय में बुनियादी सेवाओं, ऊर्जा, आवास, परिवहन आदि आमजन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए एक निश्चित योजना बनाकर उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। महोदय, जलवायु परिवर्तन के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। महोदय, मुझे लगता है कि पश्चिम के देश जलवायु परिवर्तन की चर्चा ज्यादा करते हैं। महोदय, हम तो भारत में रहते हैं और इस भारत के अन्दर जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज थे, वे पहले से जानते थे कि पर्यावरण सुरक्षा कैसे होती है, वे पहले से जानते थे कि पर्यावरण के अन्दर, इस प्रकृति के अन्दर कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पर्यावरण सुरक्षा दे सकती है, प्रकृति के अन्दर कौन सी ऐसे वृक्ष हैं जो हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं। महोदय, यही कारण है कि आज देश के अन्दर महोदय, हम पीपल के पेड़ को काटते नहीं है। महोदय, हम बर के पेड़ को काटते नहीं है महोदय, चूंकि हम जानते हैं हमारे पूर्वज जानते थे कि जो पीपल का पेड़ है वह 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है। यह आदमी को मार नहीं सकता, यह आदमी को जीवन देने का काम करता है महोदय, हम उसकी रक्षा करते हैं। हमारा देश पहले से जानता है इस बात को लेकिन जिन लोगों ने कार्बन डाई ऑक्साईड फैलाने का काम किया, उनकी चिंता हो सकती है महोदय लेकिन हम कहना चाहते हैं महोदय, आधुनिकीकरण के कारण पेड़ कटी है। महोदय, इसमें कोई दो मत नहीं है वृक्षों की कटाई हुई है महोदय, चौड़ी सड़क का निर्माण होता है तो पेड़ों को काटना पड़ता है लेकिन हमारी सरकार अगर एक पेड़ काटी है तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने का काम किया है। उसके लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने का तय किया है और हम वृक्षों को लगाने का काम कर रहे हैं, सड़कों के किनारे पेड़ लगा रहे हैं और बिहार के अन्दर वृक्ष आच्छादित, वन आच्छादित पेड़ों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमने किया है इसको और हम लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महोदय, समुद्रों और समुद्रीय संसाधन तो हमारे पास नहीं है महोदय। महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इन सब कामों को करने के लिए महोदय हम जरूर आपसे कहना चाहते हैं जो हमने कार्य योजना बनायी है, **sustainable development goal** हेतु जो कार्य योजना हमारी है महोदय, वह है (1) राज्य सरकार सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने प्रयासों के द्वारा प्रतिबद्ध रहेगी। (2) लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समग्र एवं समन्वित कार्य योजना तैयार की जायेगी। प्राथमिकता आधारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु बजट में प्रावधान किये जायेंगे। (3) लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राशि का आकलन प्रधान-सचिव/सचिव की समिति द्वारा किया जायेगा। अंतर्जिला विषमता दूर करने हेतु राशि का आकलन भी समिति द्वारा किया जायेगा। (4) नीति आयोग द्वारा बताया गया है कि सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित देशों द्वारा उनके बजट का 0.7

प्रतिशत अंश विकासशील देशों को उपलब्ध कराया जायेगा । केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतराष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में हमारी मदद करे। (5) केन्द्र सरकार अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये तथा राज्य में शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा, शोध, उद्योग, विद्युत उत्पादन, पथ, पुल, शहरी आधारभूत संरचना इत्यादि का निर्माण कराये । (6) कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड, मिनरल फंड तथा इस प्रकार के वैकल्पिक कोष का उपयोग किया जायेगा । (7) राज्य में पंचायत स्तर तक नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी। (8) संसाधनों का कुशलतम उपयोग, उत्तम कार्य विधियों (Best practices) तथा इनोवेटिव तरीकों को अपनाया जायेगा । (9) जिलों/नगर निकायों/प्रखंडों/पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्द्धा एवं रचनात्मक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । प्रथम चरण में सात निश्चय के कार्यक्रम के लिए जिलों के बीच प्रतिस्पर्द्धा हेतु सूचकांकों का निर्धारण किया गया है । (10) महोदय, मिशन मानव विकास की कार्य योजना 2018-22 बनायी जा रही है । महोदय, मैं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं उनकी भूमिका के बारे में भी उनसे निवेदन करना चाहता हूँ जो सभी माननीय सदस्य हैं, चाहे वे विधान-सभा के हों या विधान परिषद के हों, मैं जरूर उनसे आग्रह करूंगा कि वे सतत् विकास लक्ष्यों का प्रचार प्रसार करें । महोदय, राज्य, जिला, प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण हेतु समितियों का गठन किया जायेगा जिसमें माननीय मंत्री/माननीय सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है । सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आप मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की जो राशि है उसका जो उपयोग करते हैं आप, तो जरूर इस बात का ध्यान रखिये कि सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उसमें आप फंड का भी योगदान कर सकें तो महोदय ज्यादा बेहतर होगा । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ यह सतत् विकास का मूल सार व्यापक रूप से 5ps है महोदय, एक तो है people, उसका अर्थ महोदय End poverty and hunger in all forms and ensure dignity and equality. planet-Protect our planet's natural resources and climate for future generations. prosperity- Ensure prosperous and fulfilling lives in harmony with nature. peace- Foster peaceful , just and inclusive societies, partnership-Implement the agenda through a solid global partnership. महोदय, विश्व संस्था के इस पहल के प्रति हम पुनः सम्मान व्यक्त करते हैं तथा उसके कार्यान्वयन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से सदन को आश्वस्त भी करते हैं । राज्य के संसाधन सीमित है लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हम केन्द्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा करते हैं । केन्द्र सरकार वैश्विक सहयोग उपलब्ध करायेगी, हम इसकी भी अपेक्षा करते हैं । सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज व्यवस्था को शामिल करते हुए कुशलतम व्यवस्था लागू करने हेतु सदन को आश्वस्त भी करते हैं । महोदय, आपने इस चर्चा को प्रारम्भ किया और मुझे बोलने का

अवसर दिया इसके लिए फिर से एक बार आपके प्रति और सदन के प्रति मैं अभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब यह चर्चा समाप्त हुई। भाई वीरेन्द्र जी जरा इधर भी देखिये। अब यह चर्चा समाप्त हुई और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि चर्चा बड़ी सार्थक रही।

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा का नवम् सत्र दिनांक 26 फरवरी, 2018 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-22 बैठकें हुई।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 26 फरवरी, 2018 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सह-समवेत सदस्यों को सम्बोधित किया गया। माननीय मंत्री, वित्त, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गई। सभा सचिव द्वारा बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित कुल 03(तीन) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखा गया। षोडश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री सरफराज आलम, क्षेत्र संख्या-50, जोकीहाट ने दिनांक 10.02.2018 के अपराह्न में सदन से अपने स्थान का त्याग कर दिया गया है की सूचना से अवगत कराया गया। सत्र के दौरान कुल-12 (बारह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिनांक 27 फरवरी, 2018 को माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 27 एवं 28 फरवरी, 2018 को वाद-विवाद एवं माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर के उपरान्त धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

दिनांक 06 मार्च, 2018 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की माँग स्वीकृत हुई। शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुई फिर तत्सम्बन्धी बिहार विनियोग विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ। (क्रमशः)

टर्न-23/मधुप/03.04.2018

...क्रमशः...

अध्यक्ष : दिनांक 08 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार की महिलाओं को सदन की ओर से शुभकामनाएँ दी गईं ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्मिलित अनुदान की माँगों में से कुल बारह विभागों से संबंधित अनुदान की माँगें दिनांक 07 मार्च से 26 मार्च, 2018 के बीच वाद-विवाद, सरकार के उत्तर एवं मतदान के उपरान्त स्वीकृत हुईं । शेष माँगें गिलोटिन(मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुए ।

इस सत्र में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-205, भभुआ एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या-216, जहानाबाद के उप-निर्वाचन, 2018 में निर्वाचित सदस्य श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय तथा श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने शपथ ग्रहण किया ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

- (1) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018
- (2) बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018
- (3) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018
- (4) बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर सदन में विमर्श हुआ । बिहार विधायिका के लिए यह गर्व का विषय है कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकास के निर्धारित मानक लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विकास कार्यक्रमों पर सदन में सार्थक विमर्श हुआ । यह बिहार विधायिका की विकास के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का द्योतक है ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना एवं मार्गदर्शिका की प्रतियाँ तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

सत्र के दौरान कुल-4066 प्रश्न प्राप्त हुए । कुल-3151 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 45 अल्पसूचित प्रश्न, 2659 तारांकित प्रश्न तथा 447 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 247 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 564 प्रश्नोत्तर सदन पटल पर रखे गये । उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-18, अपृष्ठ प्रश्न 68 एवं 2254 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र में कुल-507 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 500 स्वीकृत हुए एवं 07 अस्वीकृत हुए। कुल-336 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 296 स्वीकृत एवं 40 अस्वीकृत हुईं।

इस सत्र में कुल-318 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 38 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 117 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 163 अमान्य हुए।

इस सत्र के दौरान कुल-238 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई।

इस सत्र में प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी की गयी। इस कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ। पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को सफलता से ले जाने का कार्य किया है, इसके लिये मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूँ, इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है।

शोक प्रकाश

स्वर्गीय डॉ० फगुनी राम

बिहार विधान सभा एवं राज्य सभा के पूर्व सदस्य तथा बिहार सरकार के पूर्व राज्यमंत्री डॉ० फगुनी राम का निधन 25 फरवरी, 2018 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी।

स्वर्गीय राम गया जिला के रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 में बिहार विधान सभा तथा वर्ष 1985, 1988, 1994 एवं 2000 में राज्य सभा के सदस्य

निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री भी रहे थे । वे दलितों एवं पिछड़ों के उत्थान हेतु सदैव तत्पर रहा करते थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय अरूण कुमार सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अरूण कुमार सिंह का निधन 11 मार्च, 2018 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह नालंदा जिला के अस्थावाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1979 के उप-चुनाव में तथा हरनौत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहा करते थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय युगल किशोर प्रसाद सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री युगल किशोर प्रसाद सिंह का निधन 11 मार्च, 2018 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 96 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे लोकप्रिय एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

टर्न-24/आजाद/03.04.2018

स्वर्गीय डा० हरेन्द्र किशोर सिंह

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य डा० हरेन्द्र किशोर सिंह का निधन दिनांक 27 मार्च, 2018 को मशरख मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह सारण (छपरा) जिला के मशरख विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1981 के उप-चुनाव में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक कुशल चिकित्सक के साथ-साथ प्रमुख समाजसेवी भी थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

इराक के मोसुल में मारे गये बिहार के पांच मृतकों के प्रति संवेदना

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, चार साल पूर्व इराक के मोसुल में रोजगार की तलाश में गये 39 भारतीयों की वहां के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट(आई0एस0) के हाथों निर्मम हत्या कर दी गई थी । मारे गये 39 भारतीयों में से पाँच युवक बिहार के सिवान जिला के रहने वाले थे, जिनका शव-अवशेष कल रात पटना लाकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया । पूरे प्रदेश के साथ हम भी इस हृदयविदारक घटना से मर्माहत हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवारों को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

कृपया बैठ जायं ।

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवारों के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।